




सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 34]

नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 23, 1969 (भाद्र 1, 1891)

No. 34]

NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 23, 1969 (BHADRA 1, 1891)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

नोटिस

NOTICE

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 27 फरवरी 1969 तक प्रकाशित किये गये हैं :

The undermentioned Gazettes of India Extraordinary were published up to the 27th February 1969 :—

अंक Issue No.	संख्या और तारीख No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject
Nil			

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियाँ प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम जाँगपत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी जाँगपत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तारीख से दस दिन के भीतर पहुँच जाने चाहिएँ।

Copies of the Gazettes Extraordinary mentioned above will be supplied on Indent to the Manager of Publications Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

भाग I—खण्ड 2

PART I—SECTION 2

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएँ

Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc., of Govt. Officers issued by The Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court

प्रधान मंत्री सचिवालय

नई दिल्ली-11, दिनांक 12 अगस्त 1969

सं० एफ० 61/106/68-मी० एम० ए०—राष्ट्रपति प्रधान मंत्री सचिवालय में अनुभाग अधिकारी, श्री श्रीनिवास देसिकाचारी की सेवा अवधि में 1 अक्टूबर 1969 से और एक वर्ष की वृद्धि करते हैं।

सर्व प्रकाश खन्ना, प्रधान मंत्री के निजी सचिव

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 2 अगस्त 1969

सं० पी० एफ० 519(3)/ए० एन०-1/जी० एन०-86/69—
इम सचिवालय की दिनांक 3 जून 1969 की अधिसूचना संख्या 519(3) ए० एन०-1/जी० एन०-80/69 के क्रम में श्री एस० एल०पुरी, स्थायी सहायक और स्थानापन्न सहायक समिति अधिकारी, अनुभाग अधिकारी के उस पद पर स्थानापन्न रूपसे कार्य करते रहेंगे जो श्री पी० पी० सिंह, अनुभाग अधिकारी को 1 अगस्त 1969

(949)

में 4 सितम्बर 1969 तक की अवधि के लिये छट्टी मंजूर की जाने में रिक्त हुआ है।

अवतार सिंह रिखी, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली-1, दिनांक 4 अगस्त 1969

सं० पी० एफ० 315(3)/ए० एन०-1/जी० एन० 87/69—
श्री एच० पी० सरिन, स्थायी सहायक संदर्भ अधिकारी तथा स्थानापन्न सूचना अधिकारी को 25 जुलाई 1969 से अगले आदेश दिये जाने तक स्थानापन्न रूप में संदर्भ अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

सं० पी० एफ० 73(3)/ए० एन०-1/जी० एन०-88/69—
श्री जी० वैकटैया, स्थायी सहायक संदर्भ अधिकारी को 28 जुलाई 1969 से अगले आदेश दिये जाने तक स्थानापन्न रूप में सहायक सूचना अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

दिनांक 6 अगस्त 1969

सं० पी० एफ० 396(3) ए० एन०-1/जी० एन०-90/69—
श्री एम० एन० पारीक, स्थायी सहायक संदर्भ अधिकारी को 4 अगस्त 1969 से अगले आदेश दिये जाने तक स्थानापन्न रूप में संदर्भ अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

दिनांक 8 अगस्त 1969

सं० 38/1/69/टी०—लोक-सभा के सदस्य, श्री जी० एस० द्विल्लन, 8 अगस्त, 1969 के मध्याह्न पश्चात् लोक-सभा के अध्यक्ष चुन लिये गए हैं।

प्रियाम लाल शकधर, सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 31 जुलाई 1969

सं० एफ० 6(597)/66-प्रशासन-I—सलाहकार (कार्य-क्रम संगठन) तथा योजना आयोग में भारत सरकार के पदेन अवर सचिव श्री पी० के० जे० मेनन, आई० ए० एस० की सेवाये 10 जुलाई 1969 (पूर्वाह्न) में बिहार सरकार को सौंप दी गई है।

देवव्रत दास, अवर सचिव

समाज कल्याण विभाग

नई दिल्ली-1, दिनांक 4 अगस्त, 1969

सं० 2(6)/69-स्थापना I—समाज कल्याण विभाग संवर्ग में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के एक अस्थायी ग्रेड II आशुलिपिक, श्री जी० सी० भारद्वाज, को 19 मई, 1969 से अस्थायी तौर पर आगामी आदेश तक विधि तथा समाज कल्याण उप-मन्त्री का निजी सचिव नियुक्त किया जाता है।

एस० मस्यम, अवर सचिव

विधि मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 जुलाई 1969

सं० फा० 12(49)/69-प्रशा०-1 (वि० का०)—राष्ट्रपति अपने प्रसाद से विधि कार्य विभाग, विधि मंत्रालय, नई दिल्ली में स्थायी उप-विधि सलाहकार (केन्द्रीय विधि सेवा की श्रेणी-3) और स्थानापन्न अपर विधि सलाहकार (केन्द्रीय विधि सेवा की श्रेणी-2) श्री पी० वी० स्वर्ल् को 5 जून 1969 के पूर्वाह्न से 26 जुलाई 1969 के अपराह्न तक उस विभाग में स्थानापन्न संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार (केन्द्रीय विधि सेवा की श्रेणी 1) के रूप में नियुक्त करते हैं।

दिनांक 8 अगस्त 1969

सं० फा० 12(62)/69-प्रशा०-1 (वि० का०)—पाण्डिचेरी सरकार के विधायी और न्यायिक विभाग में श्री जी० गोपालकृष्णन् की सचिव के रूप में प्रतिनियुक्ति के पर्यवसान पर, राष्ट्रपति अपने प्रसाद से, विधि मंत्रालय, विधिकार्य विभाग में स्थायी उप विधि सलाहकार (केन्द्रीय विधि सेवा की श्रेणी 3) श्री जी० गोपाल-कृष्णन् को, 15 जुलाई 1969 के पूर्वाह्न से और आगे आदेश होने तक, नई दिल्ली स्थित उक्त विभाग में स्थानापन्न अपर विधि सलाहकार के रूप में नियुक्त करते हैं।

एस० बालकृष्णन्, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 21 जुलाई 1969

सं० फा० 12(56)/69-प्रशा०-1 (वि० का०)—राष्ट्रपति, अपने प्रसाद से विधि कार्य विभाग, विधि मंत्रालय में स्थायी अधीक्षक (विधिक) और उस विभाग के बम्बई स्थित शाखा सचिवालय में स्थानापन्न सहायक विधि सलाहकार (केन्द्रीय विधि सेवा की श्रेणी 4) श्री जे० एच० पारिख को 1 जुलाई 1969 के पूर्वाह्न से 30 सितम्बर 1969 के अपराह्न तक की कालावधि के लिए उक्त शाखा सचिवालय में स्थानापन्न उप-विधि सलाहकार (केन्द्रीय विधि सेवा की श्रेणी-3) के रूप में नियुक्त करते हैं।

सं० फा० 12(56)/69-प्रशा०-1 (वि० का०)—राष्ट्रपति अपने प्रसाद से पंजाब राज्य सिविल (न्यायिक) सेवा के स्थायी अधिकारी और विधि कार्य विभाग, विधि मंत्रालय, नई दिल्ली में भारत सरकार के स्थानापन्न सहायक विधि सलाहकार (केन्द्रीय विधि सेवा की श्रेणी 4) के रूप में कार्यशील श्री नाहर चन्द्र गुप्त को 1 जुलाई 1969 के पूर्वाह्न से 30 सितम्बर 1969 के अपराह्न तक की कालावधि के लिए नई दिल्ली में स्थित उक्त विभाग में स्थानापन्न उप-विधि सलाहकार (केन्द्रीय विधि सेवा की श्रेणी-3) के रूप में नियुक्त करते हैं।

दिनांक 22 जुलाई 1969

सं० फा० 12(54)/69-प्रशा०-1 (वि० का०)—विधि मंत्रालय, विधि कार्य विभाग में भारत सरकार के सचिव ने एतद्वारा, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा की श्रेणी 2 के स्थायी अधिकारी श्री पृथ्वी पाल सिंह को 19 जुलाई 1969 के पूर्वाह्न से

और आगे आदेश होने तक, उसी सेवा के विधि मंत्रालय के काडर में, उसी विभाग में भारत के महासालिसिटर के स्थानापन्न निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया है।

एन० श्रीनिवासन, अवर सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 12 अगस्त 1969

सं० 14/65/68-एच० एम० टी०—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 239 खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा श्री बालेश्वर प्रसाद, आई० ए० एस० के स्थान पर श्री एम० आर० यार्दी को 6 अगस्त, 1969 के अपराह्न से मुख्य आयुक्त के पदनाम से मणीपुर संघ-शासित क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त करते हैं।

2. श्री एम० आर० यार्दी अपने अपर सचिव, गृह मंत्रालय के कार्य-भार के अतिरिक्त मुख्य आयुक्त, मणिपुर, के कार्यालय का कार्य-भार सम्भालेंगे।

अ० द० पाण्डे, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली-1, दिनांक 5 अगस्त 1969

सं० एफ० 4/38/69-सी० एस० (1)—केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड -1 (एक) के स्थायी अधिकारी श्री ए० एस० सेठी (विदेश व्यापार विभाग) को राष्ट्रपति जी सहर्ष उस सेवा के सलैक्शन ग्रेड में 1 अगस्त 1969 (पूर्वाह्न) से अन्य आदेश पर्यन्त स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

दिनांक 7 अगस्त 1969

सं० 4/36/69-सी० एस० (1)—केन्द्रीय सचिवालय सेवा के स्थायी अनुभाग अधिकारी श्री जे० के० आहलुवाल्य (जो श्रम तथा रोजगार विभाग के काडर के हैं) को राष्ट्रपति जी सहर्ष उस सेवा के ग्रेड-1 (एक) में 1 जुलाई 1969 (पूर्वाह्न) से अन्य आदेश पर्यन्त स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

दिनांक 8 अगस्त 1969

सं० 4/38/69-सी० एस० (1)—केन्द्रीय सचिवालय सेवा के स्थायी ग्रेड-1 (एक) अधिकारी श्री आर० दयाल (जो विदेश व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय—पूर्ति विभाग) को राष्ट्रपति जी सहर्ष उस सेवा के सलैक्शन ग्रेड में 21 जुलाई, 1969 (पूर्वाह्न) से अन्य आदेश पर्यन्त स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

एम० के० वासुदेवन, अवर सचिव

नई दिल्ली-1, दिनांक 6 अगस्त 1969

सं० 1/14/69-अ० भा० से०-(4)—राष्ट्रपति जी 1966 के भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियमों में से नियम 6 के अधीन श्री बख्शीस सिंह को, जो कि 1968 की भारतीय वन सेवा प्रतियोगिता

परीक्षा में सफल हुआ, उसको 12-6-1969 से भारतीय वन सेवा में परिवीक्षा पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. इस अभ्यार्थी का राज्य संवर्ग के लिये आवन्टन बाद में अधिसूचित किया जायेगा।

दिनांक 8 अगस्त 1969

मुख्य-पत्र

सं० 7/11/69-ए० आई० एस० (4)—इस मंत्रालय की 30-7-1969 की अधिसूचना संख्या 7/11/69-ए० आई० एस० (4) की दूसरी पंक्ति में "30 जुलाई, 1969" अंकों और शब्दों के स्थान पर "21 दिसम्बर, 1968" प्रतिस्थापित किये जायें।

एम० आर० भारद्वाज, अवर सचिव

नई दिल्ली-1, दिनांक 6 अगस्त, 1969

सं० 4/23/69-पुलिस-3—राष्ट्रपति 1 जून 1969 के पूर्वाह्न से अगले आदेश जारी होने तक के लिये श्री रन्जन राय, आई० पी० एस०, को खुफिया ब्यूरो, कलकत्ता में स्थानापन्न रूप से सहायक निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. श्री रन्जन राय के सहायक निदेशक के पद पर नियुक्त होने के फलस्वरूप उन्होंने 1 जून 1969 के पूर्वाह्न से एस० आई० बी० कलकत्ता में संयुक्त सहायक निदेशक के पद का कार्यभार छोड़ दिया।

सं० 4/23/69-पुलिस-3—राष्ट्रपति 1 जून 1969 के पूर्वाह्न से अगले आदेश जारी होने तक के लिये श्री सरथ चन्द्र, आई० पी० एस० को खुफिया ब्यूरो, नई दिल्ली में स्थानापन्न रूप से सहायक निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. श्री सरथ चन्द्र के सहायक निदेशक के पद पर नियुक्त होने के फलस्वरूप उन्होंने 1 जून 1969 के पूर्वाह्न से खुफिया ब्यूरो, नई दिल्ली में संयुक्त सहायक निदेशक के पद का कार्य-भार छोड़ दिया।

पि० ब० राजगोपालन, अवर सचिव

नई दिल्ली-1, दिनांक 8 अगस्त 1969

सं० 35/9/69-स्थापना (इ)—भारतीय सांख्यिकीय सेवा का एक स्थायी ग्रेड-IV अधिकारी उस सेवा के ग्रेड III में स्थानापन्न रूप में कार्य कर रहे, श्री टी० दत्ता, उप-निदेशक, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, सांख्यिकीय विभाग दिनांक 1 जुलाई 1969 पूर्वाह्न, से सेवा-निवृत्त हो गये हैं।

दिनांक 11 अगस्त 1969

सं० 19/6/69-स्थापना (इ)—राष्ट्रपति, भारतीय आर्थिक सेवा के एक स्थायी ग्रेड-III अधिकारी, डा० सी० एम० पालवी, संयुक्त निदेशक (समाज-कल्याण), राष्ट्रीय भवन-निर्माण संगठन का 19 मई, 1969 से उस सेवा से त्यागपत्र स्वीकार करते हैं।

हरीश चन्द्र, अवर सचिव

नई दिल्ली-1, दिनांक 12 अगस्त 1969

सं० 125/16/69-प्रशासन-1(ख)---राष्ट्रपति गृह मंत्रालय के संवर्ग में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-2 के स्थायी आशुलिपिक सर्वश्री सत्य प्रकाश तथा आर० एल० पिपलानी को उनके सामने लिखी गई तारीख से अगले आदेश होने तक उसी सेवा के ग्रेड-1 में स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते हैं :--

श्री सत्य प्रकाश—दिनांक 9-7-1969 से

श्री आर० एल० पिपलानी—दिनांक 25-7-1969 से ।

एस० नटराजन, अवर सचिव

नई दिल्ली-1, दिनांक 12 अगस्त 1969

सं० 8/3/69-डी० एच० (एस)---श्री बी० के० चनाना, आई० ए० एस० (उत्तर प्रदेश), 18 जून, 1969, की पूर्वाह्न से अगले आदेश होने तक श्रम आयुक्त, दिल्ली प्रशासन, नियुक्त किये जाते हैं ।

आर० सी० जैन, उप-सचिव

नई दिल्ली-1, दिनांक 7 अगस्त 1969

सं० 1/15/69-न्यायिक-3---न्यायाधिपति श्री अजित नाथ राय, न्यायाधिपति श्री विंगल जगनमोहन रेड्डी तथा न्यायाधिपति श्री इन्द्र देव दुआ ने भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद का प्रभार 1 अगस्त, 1969 पूर्वाह्न से संभाल लिया है ।

के० त्यागराजन, उप-सचिव

नई दिल्ली-1, दिनांक 6 अगस्त 1969

सं० 6/36/68-ई० आर०---राष्ट्रपति गृह मंत्रालय के सुरक्षा अधिकारी (बाह्य) श्री एच० डी० कपिल को 28 जुलाई 1969 से अगले आदेश जारी होने तक के लिए इस मंत्रालय में सीनियर स्टाफ अफसर (गृह रक्षक दल) के पद पर नियुक्त करते हैं ।

जी० डी० गुप्त, उप-सचिव

नई दिल्ली-1, दिनांक 6 अगस्त 1969

सं० 27/2/69-अ० भा० से०(3)---भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 12(ख) के अधीन राष्ट्रपति सहर्ष श्री जे० ए० स्काट, महाराष्ट्र के भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग के परिवीक्षक, को तत्काल राज्य पुलिस सेवा में वापस भेजे जाते हैं ।

अ० ता० बटाव्याल, उप सचिव

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 अगस्त 1969

सं० 47 (पी०बी०) 69---अवकाश प्राप्त करने के पूर्व तैयारी की छुट्टी समाप्त होने पर, भारतीय विदेश सेवा

(ख) के सामान्य संवर्ग के एकीकृत वर्ग II-III के स्थानापन्न अधिकारी तथा कैण्डी स्थित भारत के सहायक हाई कमिशन में भूतपूर्व रजिस्ट्रार, श्री के० एस० कुरूप 2 अगस्त 1969 को निवृत्त हो जायेंगे ।

रामेश्वर सिंह, अवर सचिव (पी० बी०)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व तथा बीमा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 जुलाई 1969

(सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क संस्थापन)

सं० 47---विदेश व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय (विदेश व्यापार विभाग) के निर्यात प्रोत्साहन निदेशालय में संयुक्त निदेशक के पद पर प्रतिनियुक्त हो जाने पर, श्री बी० बी० जुल्का ने 8 जुलाई 1969 के दोपहरबाद से राजस्व गुप्तचर्या निदेशालय, नई दिल्ली में सहायक समाहर्ता के पद का कार्यभार छोड़ दिया ।

टी० रामस्वामी, अवर सचिव

आयकर संस्थापन

नई दिल्ली, दिनांक 28 जुलाई 1969

सं० 267---श्री जी० डी० पाल पाण्डियान, अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, रेंज-II, कालीकट ने 11 अप्रैल 1969 के दोपहरबाद से, अपने स्वयं के कार्य के अतिरिक्त श्री पी० सत्यनारायण राव के स्थान पर अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, रेंज-I, कालीकट का कार्यभार भी संभाल लिया । श्री पी० सत्यनारायण राव छुट्टी पर गए थे ।

सं० 268---छुट्टी से लौटने पर, श्री पी० सत्यनारायण राव ने 19 मई 1969 के दोपहरपूर्व से श्री जी० डी० पाल पाण्डियान, अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, रेंज-II, कालीकट को अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त करते हुए, अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, रेंज-I, कालीकट का कार्यभार फिर से संभाल लिया ।

सं० 269---श्री पी० सत्यनारायण राव, अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, रेंज-I, कालीकट ने 24 मई 1969 के दोपहरबाद से, अपने स्वयं के कार्य के अतिरिक्त श्री जी० डी० पाल पाण्डियान के स्थान पर अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, रेंज-II, कालीकट का कार्यभार भी संभाल लिया । श्री जी० डी० पाल पाण्डियान छुट्टी पर गए थे ।

सं० 270---छुट्टी से लौटने पर, श्री जी० डी० पाल पाण्डियान ने 23 जून 1969 के दोपहरपूर्व से श्री पी० सत्यनारायण राव, अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, रेंज-I, कालीकट को अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त करते हुए अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त रेंज-II, कालीकट का कार्यभार फिर से संभाल लिया ।

सं० 271---श्री वी० यू० ईराडी, अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, एरनाकुलम ने 30 जून 1969 के दोपहरबाद से, अपने स्वयं के कार्य के अतिरिक्त श्री टी० एस० जयकर के स्थान पर अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, त्रिवेन्द्रम का कार्यभार भी संभाल लिया । श्री टी० एस० जयकर छुट्टी पर गए हैं ।

सं० 272—छुट्टी से लौटने पर श्री बी० मुन्नहाण्यम् ने 7 जुलाई 1969 के दोपहरपूर्व से श्री एन० के० दत्त, अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, 'एन' रेंज, कलकत्ता को अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त करते हुए अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, रेंज-I, कलकत्ता का कार्यभार फिर से संभाल लिया।

सं० 273—श्री जी० सी० पन्त, अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, 'एनम' रेंज, कलकत्ता ने 3 मई 1969 के दोपहरबाद से, अपने स्वयं के कार्य के अतिरिक्त, श्री सी० पी० ए० वासुदेवन् के स्थान पर, अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, 'एस' रेंज, कलकत्ता का कार्यभार भी संभाल लिया। श्री सी० पी० ए० वासुदेवन् छुट्टी पर गए थे।

सं० 274—छुट्टी से लौटने पर, श्री सी० पी० ए० वासुदेवन् ने 30 जून 1969 के दोपहरपूर्व से श्री जी० सी० पन्त, अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, 'एक्स' रेंज, कलकत्ता को अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त करते हुए अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, 'एम' रेंज, कलकत्ता का कार्यभार फिर से संभाल लिया।

सं० 275—श्री एस० प्रसाद, अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, 'एफ' रेंज, कलकत्ता ने 3 मई 1969 के दोपहरबाद से अपने स्वयं के कार्य के अतिरिक्त श्री एस० एन० चटर्जी के स्थान पर अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, 'जी' रेंज, कलकत्ता का कार्यभार भी संभाल लिया। श्री एस० एन० चटर्जी छुट्टी पर गए थे।

सं० 276—छुट्टी से लौटने पर, श्री एस० एन० चटर्जी ने 7 जुलाई 1969 के दोपहरपूर्व से श्री एस० प्रसाद, अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, 'एफ' रेंज, कलकत्ता को अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त करते हुए अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, 'जी' रेंज का कार्यभार फिर से संभाल लिया।

सं० 277—श्री एस० के० राय, अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, 'ई' रेंज, कलकत्ता ने 9 मई 1969 के दोपहरबाद से अपने स्वयं के कार्य के अतिरिक्त श्री एल० के० बाल मुन्नहाण्यन् के स्थान पर अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, 'वाई' रेंज, कलकत्ता का कार्यभार भी संभाल लिया। श्री एल० के० बाल मुन्नहाण्यन् छुट्टी पर गए थे।

सं० 278—छुट्टी से लौटने पर, श्री एल० के० बाल मुन्नहाण्यन् ने 16 जून 1969 के दोपहरपूर्व से श्री एस० के० राय, अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, 'ई' रेंज, कलकत्ता को अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त करते हुए अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, 'वाई' रेंज, कलकत्ता का कार्यभार फिर से संभाल लिया।

सं० 279—श्री जी० सी० पन्त, अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, 'एक्स' रेंज, कलकत्ता ने 5 जुलाई 1969 के दोपहरबाद से अपने स्वयं के कार्य के अतिरिक्त, श्री आर० प्रसाद के स्थान पर अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, 'डी' रेंज, कलकत्ता का कार्यभार भी संभाल लिया। श्री आर० प्रसाद का स्थानान्तरण हो गया है।

सं० 280—श्री आर० के० चौधरी, अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त 'बी' रेंज, पटना ने 13 जून 1969 के दोपहरबाद से अपने

स्वयं के कार्य के अतिरिक्त श्री आर० एन० शर्मा के स्थान पर अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त 'ए' रेंज, पटना का कार्यभार भी संभाल लिया। श्री आर० एन० शर्मा छुट्टी पर गए थे।

सं० 281—छुट्टी से लौटने पर, श्री आर० एन० शर्मा ने 7 जुलाई 1969 के दोपहरपूर्व से श्री आर० के० चौधरी, अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, 'बी' रेंज, पटना को अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त करते हुए, अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, 'ए' रेंज, पटना का कार्यभार फिर से संभाल लिया।

सं० 282—राष्ट्रपति जी ने श्री एल० पी० धीर, आयकर अधिकारी, श्रेणी I को 1 जुलाई 1969 के दोपहरबाद से, अगला आदेश होने तक स्थानापन्न सहायक आयकर आयुक्त नियुक्त किया है। श्री धीर ने उसी दिनांक से श्री डी० एस० संघू, अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, 'डी' रेंज, लुधियाना को अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त करते हुए, अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, 'ए' रेंज, लुधियाना का कार्यभार संभाल लिया है।

सं० 283—छुट्टी से लौटने पर, श्री राजेन्द्र सिंह साहनी ने 7 जुलाई 1969 के दोपहरपूर्व से श्री आर० आर० गुप्त, अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, 'ए' रेंज, अमृतसर को अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त करते हुए, अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, जालंधर रेंज, जालंधर का कार्यभार फिर से संभाल लिया।

सं० 284—छुट्टी से लौटने पर, श्री जी० एम० कुलकर्णी ने 14 जुलाई 1969 के दोपहरपूर्व से श्री बी० एन० शर्मा, अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, 'ए' रेंज, पटियाला को अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त करते हुए अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, 'बी' रेंज, पटियाला का कार्यभार फिर से संभाल लिया।

सं० 285—छुट्टी से लौटने पर, श्री सरोजकुमार ने 23 जून 1969 के दोपहरपूर्व से श्री पी० कृष्णमूर्ति, अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, 'ए' रेंज, हैदराबाद को अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त करते हुए, अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, विशाखापत्तनम् रेंज, विशाखापत्तनम् का कार्यभार फिर से संभाल लिया।

सं० 286—छुट्टी से लौटने पर, श्री चुन्नीलाल ने 1 जुलाई 1969 के दोपहरपूर्व से श्री एस० एस० माथुर, अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, 'बी' रेंज, जोधपुर को अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त करते हुए, अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, बीकानेर रेंज, बीकानेर का कार्यभार फिर से संभाल लिया।

सं० 287—छुट्टी से लौटने पर, श्री ए० बी० मेनन ने, 1 जुलाई 1969 के दोपहरपूर्व से, श्री के० वी० राजन, अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, सलेम रेंज, सलेम को अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त करते हुए, अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, मदुरै रेंज, मदुरै का कार्यभार फिर से संभाल लिया।

सं० 288—छुट्टी से लौटने पर, श्री बी० अब्राहम ने 4 जुलाई 1969 के दोपहरपूर्व से श्री पी० के० वी० राघवन्, अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, 'डी' रेंज, मद्रास को अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त करते हुए, अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, 'ए' रेंज, मद्रास का कार्यभार फिर से संभाल लिया।

सं० 289—छुट्टी से लौटने पर, श्री डी० बी० आहूजा ने 9 जुलाई 1969 के दोपहरपूर्व से श्री एम० एम० प्रसाद, अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, 'डी' रेंज, नई दिल्ली को अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त करते हुए, अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, 'के' रेंज, नई दिल्ली का कार्यभार फिर से संभाल लिया।

सं० 290—छुट्टी से लौटने पर, श्री बी० जे० चाको ने 14 जुलाई 1969 के दोपहरपूर्व से श्री एम० रामलिंगम्, अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, शोलापुर रेंज, शोलापुर को अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त करते हुए अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, पूना रेंज-II, पूना का कार्यभार फिर से संभाल लिया है तथा साथ ही अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त पूना, रेंज-I, पूना का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाल लिया।

सं० 291—स्थानान्तरण पर, श्री एल० के० मोहन ने 13 जून 1969 के दोपहरपूर्व से श्री अजीत सिन्हा, अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, रेंज-II, मेरठ को अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त करते हुए, अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, रेंज-III, मेरठ का कार्यभार संभाल लिया है।

सं० 292—श्री एल० के० मोहन, अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, रेंज-III, मेरठ ने 30 जून 1969 के दोपहरबाद से, अपने स्वयं के कार्य के अतिरिक्त, श्री अजीत सिन्हा के स्थान पर अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, रेंज-II, मेरठ का कार्यभार भी संभाल लिया। श्री सिन्हा छुट्टी पर गए हैं।

सं० 293—छुट्टी से लौटने पर, श्री एस० आर० शुक्ल ने 14 जुलाई 1969 के दोपहरपूर्व से श्री एस० आई० त्रिपाठी, अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, रेंज-II, वाराणसी को अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त करते हुए, अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, रेंज-I, वाराणसी का कार्यभार फिर से संभाल लिया।

सं० 294—छुट्टी से लौटने पर, श्री ए० एन० गुप्त ने 30 जून 1969 के दोपहरपूर्व से श्री आर० सी० गुप्त, अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, रेंज-II, कानपुर को अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त करते हुए, अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, रेंज-III, कानपुर का कार्यभार फिर से संभाल लिया।

सं० 295—छुट्टी से लौटने पर, श्री ई० डी० हेम्स ने 10 जुलाई 1969 के दोपहरपूर्व से श्री ओ० पी० भारद्वाज, अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, रेंज-II, इलाहाबाद को अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त करते हुए, अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, रेंज-I, इलाहाबाद का कार्यभार फिर से संभाल लिया।

सं० 296—स्थानान्तरण पर, श्री के० बी० जिन्दल ने 7 जुलाई 1969 के दोपहरपूर्व से, श्री एस० द्विवेदी के स्थान पर, अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, मुरादाबाद का कार्यभार संभाल लिया। श्री द्विवेदी का स्थानान्तरण हो गया है।

सं० 297—श्री एम० एफ० मुंशी, अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, 'क्यू' रेंज, बम्बई ने 28 जून 1969 के दोपहरबाद से, अपने स्वयं के कार्य के अतिरिक्त, श्री एस० वाई० राजे पंढारे के

स्थान पर, अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, 'एम' रेंज, बम्बई का कार्यभार भी संभाल लिया। श्री राजे पंढारे छुट्टी पर गए हैं।

सं० 298—छुट्टी से लौटने पर, श्री जे० एन० शर्मा ने 30 जून 1969 के दोपहरपूर्व से श्री आर० एस० अग्रवाल, अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, भावनगर रेंज, भावनगर को अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त करते हुए, अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, 'ई' रेंज, अहमदाबाद का कार्यभार संभाल लिया।

दिनांक 30 जुलाई 1969

सं० 299—श्री सी० सी० गणपति, आयकर आयुक्त, बम्बई मिटी-II, बम्बई ने अपने स्वयं के कार्य के अतिरिक्त, 18 जुलाई 1969 के दोपहरपूर्व से, श्री एम० बी० पालेकर के स्थान पर, आयकर आयुक्त, बम्बई सिटी-I, बम्बई का कार्यभार भी संभाल लिया है। श्री एम० बी० पालेकर का स्थानान्तरण हो गया है।

एम० जी० टामस, अवर सचिव

व्यय विभाग

(रक्षा प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 जुलाई, 1969

सं० 21/6/69-एस्ट०—राष्ट्रपति प्रसन्नतापूर्वक केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड के स्थायी अधिकारी श्री एस० एस० भाटिया जो कि उसी सेवा के ग्रेड 1 में स्थानापन्न नियुक्त हैं को 13 जुलाई 1969 से आगामी आदेश होने तक की अवधि के लिये, वित्त मंत्रालय के रक्षा प्रभाग में सहायक वित्तीय सलाहकार नियुक्त करते हैं।

दिनांक 12 अगस्त 1969

सं० 21/5/69-एस्ट०—राष्ट्रपति प्रसन्नतापूर्वक श्री एम० बी० एल० शर्मा जो कि वित्त मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय संवर्ग के सहायकों के ग्रेड में स्थायी अधिकारी हैं को 15 जुलाई 1969 से 31 जुलाई 1969 तक की अवधि के लिये वित्त मंत्रालय के रक्षा प्रभाग में स्थानापन्न अनुभाग अधिकारी नियुक्त करते हैं।

पी० सी० तिवारी, सहायक वित्तीय सलाहकार

नई दिल्ली, दिनांक 12 अगस्त, 1969

सं० 21/17/69-एस्ट०—श्री पी० के० जैन जो रक्षा लेखा के एक स्थानापन्न लेखा अधिकारी हैं और प्रतिनियुक्ति पर स्थानापन्न हो कर आए हैं, को वित्तीय सलाहकार 21 जुलाई 1969 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेश होने तक स्थानापन्न रूप से काम करने के लिए वित्त मंत्रालय (रक्षा प्रभाग) में अनुभाग अधिकारी (अपवर्जित) के पद पर नियुक्त करते हैं।

पी० सी० तिवारी, सहायक वित्तीय सलाहकार
वित्तीय सलाहकार की ओर से

(सरकारी उद्यम कार्यालय)

नई दिल्ली, दिनांक 18 जुलाई 1969

सं० पी० एफ० जी० (बी० पी० ई०)-40/69-एडमिनिस्ट्रेशन—राष्ट्रपति ने प्रसन्नतापूर्वक केन्द्रीय सचिवालय सेवा के पदक्रम I

के स्थायी अधिकारी श्री एस० एस० शर्मा को पहली जुलाई, 1969 के पूर्वाह्न से और एक महीने के लिए इसी सेवा के प्रवर्णन पदक्रम का स्थानापन्न अधिकारी नियुक्त किया है।

2. राष्ट्रपति ने प्रसन्नतापूर्वक श्री एस० एस० शर्मा को उपर्युक्त अवधि के लिए वित्त मंत्रालय के सरकारी उद्यम कार्यालय में उपसचिव भी नियुक्त किया है।

एस० जगन्नाथरायणन, अनुसचिव

नई दिल्ली, दिनांक 31 जुलाई 1969

सं० 2(3)/69-बी० पी० ई०/प्रशासन—राष्ट्रपति ने प्रसन्नतापूर्वक केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली के स्थायी प्रवर वास्तुविद श्री एम० एम० राणा को, वित्त मंत्रालय के सरकारी उद्यम कार्यालय में 28 जुलाई, 1969 के अपराह्न से अगला आदेश जारी होने तक निदेशक के पद पर नियुक्त किया है।

एस० एस० शर्मा, उप-सचिव

परमाणु ऊर्जा विभाग

बम्बई-1, दिनांक 26 जून 1969

सं० 1/5(41)/69-टी० ई०—राष्ट्रपति ने प्रसन्नतापूर्वक इस विभाग के भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के स्थायी विज्ञान अधिकारी/इंजीनियर-ग्रेड एस० सी० 2 तथा स्थानापन्न विज्ञान अधिकारी/इंजीनियर-ग्रेड एस० डी० 2, डा० रघुनाथ सुब्रमणि मणि को 1 फरवरी 1969 के पूर्वाह्न से अगले आदेश होने तक उमी अनुसंधान केन्द्र में स्थानापन्न रूप से विज्ञान अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड एस० ई० नियुक्त किया है।

सं० 1/22(1)/69 टी० ई०—राष्ट्रपति ने प्रसन्नतापूर्वक इस विभाग के भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के स्थायी उच्च-श्रेणी-लिपिक तथा स्थानापन्न सहायक कार्मिक अधिकारी, श्री प्रभाकर रघुनाथ बोदरे को 22 अप्रैल से 13 जून 1969 तक श्री टी० आर० कृष्णमूर्ति जिन्हें सचिव, ट्राम्बे समिति तथा ट्राम्बे विज्ञान समिति नियुक्त किया गया, के स्थान पर उपस्थाना अधिकारी नियुक्त किया।

दिनांक 22 जुलाई 1969

सं० 1/6(16)/69-टी० ई०—धुम्बा विपुवदीय रावेट प्रक्षेपण केन्द्र में नियुक्त होने पर इस विभाग के भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के अस्थायी विज्ञान अधिकारी/इंजीनियर-ग्रेड एस० डी० 2, श्री वीर राघवन श्रीकान्तन ने 19 मई 1969 के अपराह्न से उपरोक्त केन्द्र में अपने पद का कार्यभार छोड़ दिया।

एम० बी० राघवन, अवर सचिव

बम्बई-1, दिनांक 18 जुलाई 1969

सं० 29/2/69-पी० पी०—राष्ट्रपति ने प्रसन्नतापूर्वक राजस्थान परमाणु विद्युत प्रायोजना के एक अस्थायी सहायक भण्डार अधिकारी, श्री राजेश कुमार को 1 मई 1969 के अपराह्न से श्री

जे० पी० चोक जिन्हें छुट्टी पत्राग की गई है, के स्थान पर उमी प्रायोजना में भण्डार अधिकारी नियुक्त किया है। श्री राजेश कुमार ने 13 जून 1969 के अपराह्न से भण्डार अधिकारी के पद का कार्यभार छोड़ दिया।

दिनांक 22 जुलाई 1969

सं० 28(17)/69-पी० पी०—राष्ट्रपति शोकपूर्वक सूचित करते हैं कि भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के अस्थायी विज्ञान अधिकारी/इंजीनियर-ग्रेड एस० डी० 2, श्री बी० पी० मन्सुखानी जो इस विभाग के विद्युत प्रायोजना इंजीनियरी प्रभाग में कार्य कर रहे थे, का देहान्त 30 जून 1969 को हो गया।

जी० एल० गर्ग, अवर सचिव

बम्बई-1, दिनांक 21 जुलाई 1969

सं० 1/5(53)/69-टी० ई०—राष्ट्रपति ने प्रसन्नतापूर्वक इस विभाग के भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के अस्थायी विज्ञान अधिकारी/इंजीनियर-ग्रेड एस० ई०, श्री कुलदीप सिंह बिम्भत को 1 अगस्त 1968 के पूर्वाह्न से अगले आदेश होने तक उसी अनुसंधान केन्द्र में अस्थायी रूप से विज्ञान अधिकारी/इंजीनियर-ग्रेड एस० एफ० नियुक्त किया है।

आर० सी० शर्मा, उप-सचिव

विदेशी व्यापार तथा आपूर्ति मंत्रालय

(विदेशी व्यापार विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 4 अगस्त 1969

सं० 72/69 [ई० 1 (जी०) (एन०-53)/69]—राष्ट्रपति, श्री एन० के० सिंह, आई० ए० एस० को, 26 जुलाई 1969 के अपराह्न से आगामी आदेशों तक विदेशी व्यापार तथा आपूर्ति मंत्रालय (विदेशी व्यापार विभाग) में अवर सचिव के पद पर, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

सं० 73/69 [ई० II (जी०)/आर०-67] ई० I—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड की एक स्थायी अधिकारी श्रीमती रत्ना डी० मंगत को 12 मई 1969 से 13 जून 1969 तक उमी सेवा के ग्रेड I में स्थानापन्न रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, श्रीमति रत्ना डी० मंगत को, उपर्युक्त अवधि के लिये, आयात-निर्यात के समुक्त मुख्य नियंत्रक के कार्यालय, बम्बई में आयात-निर्यात के उप-मुख्य नियंत्रक के पद पर भी सहर्ष नियुक्त करते हैं।

के० ए० सचदेव, अवर सचिव

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार एवं कम्पनी कार्यमंत्रालय (कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली 1, दिनांक 5 अगस्त 1969

सं० पी० एफ० जी० (33)-सी० एल० ए०/55—श्री सी० एच० एस० राव, उप-सरकारी समापक, उच्च न्यायालय, कलकत्ता,

को 8-7-1969 से 8-8-1969 तक, 32 दिन का अर्जित अवकाश, 9 तथा 10 अगस्त 1969 को छुट्टियों को इस अवकाश में गणित करने की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया है।

सं० पी० एफ० जी० (78)-सी० एल० ए०/57—सरकारी समापक, उच्च न्यायालय, कलकत्ता के पद पर स्थानान्तरण हो जाने पर श्री जे० पी० मुकर्जी ने, 27 जून 1969 पूर्वाह्न से, कम्पनी रजिस्ट्रार, पश्चिमी बंगाल, कलकत्ता के पद का कार्यभार त्याग दिया।

2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (कम्पनी कार्य एवं बीमा विभाग) अधिसूचना सा० का० नि० 72, दिनांक 1 जनवरी 1966 के साथ पठित, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 609 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, कम्पनी विधि बोर्ड ने, संयुक्त निदेशक, निरीक्षण, कम्पनी कार्य विभाग, नई दिल्ली, के पद से स्थानान्तरित होने पर, श्री पी० के० मलिक को, 27 जून 1969 पूर्वाह्न से, अगला आदेश होने तक, श्री जे० पी० मुकर्जी के स्थान पर, कम्पनी रजिस्ट्रार, पश्चिमी बंगाल, कलकत्ता, के स्थानापन्न पद पर नियुक्त किया है।

सं० पी० एफ० जी० (78)-सी० एल० ए०/57—उप-सरकारी समापक, उच्च न्यायालय, कलकत्ता के पद पर प्रत्यावर्तन होने पर, श्री सी० एच० एस० राव ने, 27 जून 1969 पूर्वाह्न से, सरकारी समापक, उच्च न्यायालय, कलकत्ता के पद का कार्यभार त्याग दिया।

2. कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 448 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार ने, कम्पनी रजिस्ट्रार, पश्चिमी बंगाल, कलकत्ता, के पद से स्थानान्तरण होने पर, श्री पी० मुकर्जी को, 27 जून, 1969 पूर्वाह्न से, अगला आदेश होने तक, श्री सी० एच० एस० राव के स्थान पर, सरकारी समापक उच्च न्यायालय, कलकत्ता के स्थानापन्न पद पर नियुक्त किया है।

सं० पी० एफ० आर० (51)-सी० एल० ए०/62—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (कम्पनी कार्य एवं बीमा विभाग) अधिसूचना सा० का० नि० 72 दिनांक 1 जनवरी 1966 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 609 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कम्पनी विधि बोर्ड ने, छुट्टियों से वापिस आने पर श्री के० राजागोपालन को, 14 जुलाई 1969 पूर्वाह्न से, अगला आदेश होने तक, सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार मद्रास के स्थानापन्न पद पर नियुक्त किया है।

सं० पी० एफ० आर० (63)-सी० एल० ए०/65—श्री के० जी० अनन्ताकृष्णन, सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार, पश्चिमी बंगाल, कलकत्ता को, 5 जुलाई, 1969 से 11 जुलाई 1969 तक 7 दिन का अर्जित अवकाश, 12 तथा 13 जुलाई 1969 को द्वितीय शनिवार एवं रविवार होने के कारण इस अवकाश में सम्मिलित करने की अनुमति सहित, स्वीकृत किया गया है।

दिनांक 11 अगस्त 1969

सं० पी० एफ० आर० (60)-सी० एल० ए०/64—संघ लोक सेवा आयोग द्वारा, कम्पनी लेखाकार के पद के लिये चयन कर लिये जाने पर, राष्ट्रपति ने, श्री बी० एस० गलगली को, 16

जुलाई, 1969 पूर्वाह्न से, अगला आदेश होने तक, सरकारी समापक, बम्बई के कार्यालय में कम्पनी लेखाकार (कम्पनी विधि बोर्ड सेवा का पदक्रम III) के स्थानापन्न पद पर, नियमित आधार पर, नियुक्त किया है।

सं० पी० एफ० आर० (63) सी० एल० ए०/65—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (कम्पनी कार्य एवं लेखा विभाग) अधिसूचना सा० का० नि० 72 दिनांक 1 जनवरी, 1966 के साथ पठित, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 609 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कम्पनी विधि बोर्ड ने, छुट्टियों से वापिस आने के पश्चात्, श्री के० जी० अनन्ताकृष्णन को, 14 जुलाई, 1969 पूर्वाह्न से, अगला आदेश होने तक, सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार, पश्चिमी बंगाल, कलकत्ता के स्थानापन्न पद पर नियुक्त किया है।

सं० पी० एफ० जी० (195) सी० एल० ए०/65—श्री एन० एल० पासी, भूतपूर्व कम्पनी रजिस्ट्रार, आसाम, त्रिपुरा, मनीपुर एवं नागालैण्ड, को, 1 मई, 1968 से 9 मई, 1968 तक 9 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था।

दिनांक 12 अगस्त 1969

सं० पी० एफ० जी० (122) सी० एल० ए०/61—कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 448 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार ने, छुट्टियों से वापिस आने पर, श्री के० वेत्थीस्वर्ण को 19 जुलाई, 1969 पूर्वाह्न से अगला आदेश होने तक, श्री जी० श्रीनिवासन के स्थान पर, सरकारी समापक, उच्च न्यायालय, मद्रास के स्थानापन्न पद पर नियुक्त किया है।

पी० बी० सहारिया, अवर सचिव
कम्पनी विधि बोर्ड

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास और नगर विकास
मंत्रालय
(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 8 अगस्त 1969

सं० 7-27/67-के० स्वा० से०-I—सरकारी सेवा से निवृत्त हो जाने के फलस्वरूप डा० आई० बी० मुखर्जी ने 1 अप्रैल 1969 पूर्वाह्न से मणिपुर सरकार के अन्तर्गत सहायक मलेरिया चिकित्सा अधिकारी के पद जो केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के जनरल ड्यूटी अफसर ग्रेड-I में भी सम्मिलित हैं का कार्यभार छोड़ दिया।

सं० 3(4)-32/68-के० स्वा० से०-I—राष्ट्रपति डा० भरत सिंह को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के जनरल ड्यूटी अफसर ग्रेड-I में नियुक्त कर 30 मई 1969 पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक अस्थायी रूप से पुलिस अस्पताल, दिल्ली में कनिष्ठ रोग-वैज्ञानिक के पद पर उनकी नियुक्ति करते हैं।

सं० 3(II)-19/68-के० स्वा० से०-I—केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के सुपरटाइम ग्रेड-II में अपनी नियुक्ति हो जाने के फलस्वरूप केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के विशेषज्ञ ग्रेड के एक अधिकारी डा० एम० एम० पी० महाजन ने 31 मई, 1969 अपराह्न को केन्द्रीय

अस्पताल धनबाद से सर्जन के पद का कार्यभार छोड़ दिया है। उन्होंने 12 जून, 1969 पूर्वाह्न को केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना, नई दिल्ली में सहायक महानिदेशक के पद का कार्यभार संभाल लिया है।

सं० 3(4)-31/68-के० स्वा० से०-I—राष्ट्रपति डा० (कुमारी) टी० भामा का केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के जनरल ड्यूटी अफसर ग्रेड-I में नियुक्त कर 22 मई, 1969 पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी में अस्थायी रूप से कनिष्ठ पैथोलोजिस्ट के पद पर उनकी नियुक्ति करने है।

2. 4 जुलाई, 1969 की अधिसूचना संख्या एफ० 3(4)-31/68-के० स्वा० से०-I को एतद्वारा रद्द किया जाता है।

सं० 3(III)-34/68-के० स्वा० से०-I—राष्ट्रपति डा० बी० के० झा को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवाओं के विशेषज्ञ ग्रेड में नियुक्त कर 20 जून, 1969 पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक अस्थायी रूप से जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी में पैथोलोजी के सहायक प्राध्यापक के पद पर उनकी नियुक्ति करते हैं।

सं० 10(III)-6/68-के० स्वा० से०-I—राष्ट्रपति केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के जनरल ड्यूटी अफसर ग्रेड-I के एक अधिकारी तथा नेफा में स्वास्थ्य सेवा उप-निदेशक के पद पर काम कर रहे डा० डी० धनतालुएनगा को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के सुपरटाइम ग्रेड-II में नियुक्त कर 6 अगस्त 1968 अपराह्न से 12 दिसम्बर 1968 अपराह्न तक तदर्थ आधार पर नेफा में स्वास्थ्य सेवा के निदेशक के पद पर उनकी नियुक्ति करते हैं।

सं० 12(II)-2/68-के० स्वा० से०-I—पुनर्नियुक्ति की शर्त समाप्त हो जाने पर डा० (श्रीमती) के० सी० धम्मामा ने 24 अप्रैल, 1969 अपराह्न को केन्द्रीय परिवार नियोजन क्षेत्र एकक, त्रिवेन्द्रम से परिवार नियोजन अधिकारी के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

सं० 13(II)-30/68-के० स्वा० से०-I—वियतनाम में पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण हेतु अन्तर्राष्ट्रीय आयोग में चिकित्सा अधिकारी के रूप में अपनी नियुक्ति हो जाने पर केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के जनरल ड्यूटी अफसर ग्रेड-I के एक अधिकारी डा० एम० आर० रत्ना ने 9 जून, 1969 अपराह्न को केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना, नई दिल्ली से चिकित्सा अधिकारी के पद का कार्यभार छोड़ दिया।

सं० 4(I)-1/69-के० स्वा० से०-I—तदर्थ आधार पर केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के सुपरटाइम ग्रेड-II में अपनी नियुक्ति हो जाने के फलस्वरूप, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के जनरल ड्यूटी अफसर ग्रेड-I के एक अधिकारी डा० आर० एस० चावला ने 13 जनवरी, 1969 पूर्वाह्न को उप-सहायक निदेशक (वार्षिक प्रतिवेदन) के पद का कार्यभार छोड़ दिया और उन्होंने उसी दिन केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना नई दिल्ली में सहायक महानिदेशक के पद का कार्यभार संभाल लिया।

परावर्तन के कारण डा० चावला ने 11 जून, 1969 अपराह्न को सहायक महानिदेशक (के० स्वा० से०) के पद का कार्यभार

छोड़ दिया और उन्होंने उसी दिन स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशालय, नई दिल्ली में उप-सहायक निदेशक (वार्षिक प्रतिवेदन) के पद का कार्यभार संभाल लिया।

सं० 14-10/69-के० स्वा० से०-I—अपने स्थानान्तरण के फलस्वरूप डा० पी० के० चन्दक ने 5 अप्रैल, 1969 पूर्वाह्न से केन्द्रीय विकलांग संस्थान, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली से विकलांग शल्य चिकित्सक का कार्यभार छोड़ दिया और उन्होंने 16 अप्रैल 1969 पूर्वाह्न से कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि के अन्तर्गत केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के विशेषज्ञ ग्रेड में केन्द्रीय अस्पताल, धनबाद में विकलांग शल्य चिकित्सक के पद का कार्यभार संभाल लिया।

सं० 14-8/69-के० स्वा० से०-I—अपना स्थानान्तरण हो जाने के फलस्वरूप डा० एच० पी० वर्मा ने 21 अप्रैल, 1969 अपराह्न को जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी से विसंज्ञा शास्त्र के प्राध्यापक के पद का कार्यभार छोड़ दिया और उन्होंने 30 अप्रैल, 1969 अपराह्न को मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, नई दिल्ली में विसंज्ञा शास्त्र के प्राध्यापक के पद का कार्यभार संभाल लिया।

सं० 14-19/69-के० स्वा० से०-I—सैनिक चिकित्सा कोर से मुक्त हो जाने पर केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के जनरल ड्यूटी अफसर ग्रेड-I के एक अधिकारी डा० हरवंस सिंह चहल ने 14 जून, 1969 पूर्वाह्न को सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में कनिष्ठ चिकित्सक के पद का कार्यभार संभाल लिया।

दिनांक 11 अगस्त 1969

सं० 5-1/68-के० स्वा० से०-II—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को प्रत्येक के सम्मुख दर्शाई गई तिथि से केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के सुपरटाइम ग्रेड-I में स्थायी रूप से नियुक्त करते हैं—

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	जिस पद पर नियुक्त है	स्थायीकरण तिथि
1.	डा० एलेक्जेंडर के० थामस	निदेशक, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली।	29-7-1968
2.	डा० एम० एन० राव	निदेशक, अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कलकत्ता।	19-6-1969
3.	डा० (कुमारी) एस० पद्मावती	कार्डियोलोजी के परामर्श-दाना, गोविन्द बल्लभ पन्त अस्पताल, नई दिल्ली।	19-6-1969
4.	डा० वी० रामकृष्ण	उपायुक्त, परिवार नियोजन।	19-6-1969

(1)	(2)	(3)	(4)
5. डा० वाई० के० सुब्रह्मण्यम	स्वास्थ्य सेवा के उप-महानिदेशक (चेचक)	19-6-1969	
6. डा० पुरुषोत्तम दीश	स्वास्थ्य सेवा के उप-महानिदेशक (के० स्वा० यो०)	19-6-1969	
7. डा० (श्रीमती) सीता अछाया	प्रधानाचार्य, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज, नई दिल्ली।	1-7-1969	
8. डा० एन०जी० एम० राघवन	निदेशक, राष्ट्रीय मंचारी रोग संस्थान, दिल्ली।	1-7-1969	
9. डा० एम० एल० धीर	निदेशक, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, नई दिल्ली।	1-7-1969	

सं० 2-204/68-के० स्वा० से०-II—अपने त्याग-पत्र के मंजूर हो जाने के फलस्वरूप केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के जनरल ड्यूटी अफसर ग्रेड-II के एक अधिकारी डा० (श्रीमती) एम० आर० राजेशवरी ने 16 जून, 1969 पूर्वाह्न को गाम स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र नजफगढ़ (दिल्ली) से कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

पी० वी० हरिहरणकरन, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 11 अगस्त 1969

सं० 2-513/68-के० स्वा० से० II—स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन विभाग के सचिव एतद्द्वारा डा० गोपी चन्द बालचन्द्रानी को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के जनरल ड्यूटी अफसर ग्रेड-II में नियुक्त कर 28 अप्रैल, 1969 पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक अस्थायी रूप से गृह मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय भारक्षित पुलिस बेस अस्पताल, नीमच में कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर उनकी नियुक्ति करते हैं।

पी० वी० हरिहरणकरन, अवर सचिव कृते सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 8 अगस्त 1969

सं० 1(i)-29/69-स्थापना (नीति)—स्वास्थ्य विभाग की अधिसूचना संख्या एफ० 1(i)-29/69-स्थापना (नीति), दिनांक 15 जुलाई, 1969 के अनुसरण में राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड के एक स्थायी अधिकारी श्री आर० एन० सिन्हा को 24 जुलाई, 1969 में 1 अगस्त, 1969 तक आगामी 9 दिन की अवधि के लिये केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I में स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति उपर्युक्त अवधि के लिये श्री आर० एन० सिन्हा को स्वास्थ्य विभाग में अवर सचिव के पद पर भी नियुक्त करते हैं।

अवर सचिव के रूप में अपनी स्थानापन्न नियुक्ति की अवधि के समाप्त हो जाने पर श्री आर० एन० सिन्हा ने 2 अगस्त, 1969 पूर्वाह्न को स्वास्थ्य विभाग में अनुभाग अधिकारी के पद का कार्यभार संभाल लिया है।

सं० 1(i)-46/69-स्थापना (नीति)—राष्ट्रपति, श्री सतीश कुमार, आई० ए० एस०, (राजस्थान) को 2 अगस्त, 1969 पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक स्वास्थ्य परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) भारत सरकार में अवर सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

के० सत्यनारायण, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 8 अगस्त 1969

सं० 1(iii)-11/69-स्थापना (नीति)—स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास मंत्रालय (स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन विभाग) के सचिव केन्द्रीय सचिवालय आशु-लिपिक सेवा के ग्रेड-II के एक स्थायी अधिकारी श्री एस० आर० गुप्त को 26 मई, 1969 से 60 दिन की अवधि के लिए स्वास्थ्य विभाग में आयुर्वेदिक भेषज समिति के महायक सचिव के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

2. अपनी नियुक्ति की शर्तों के समाप्त हो जाने पर श्री एम० आर० गुप्त ने 25 जुलाई, 1969 पूर्वाह्न को आयुर्वेदिक भेषज समिति के महायक सचिव के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

के० सत्यनारायण, अवर सचिव

कृते सचिव

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय (कृषि विभाग)

नई दिल्ली-1, दिनांक 10 जुलाई 1969

सं० 5-22/69-स्थापना-5—राष्ट्रपति, खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय (कृषि विभाग) की चर्म शोधन योजना के कार्यभारी अधिकारी श्री ज्वाला प्रसाद को उसी विभाग में 3 जुलाई 1969 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक सहायक आयुक्त (शव उपयोग) के पद पर नियुक्त करते हैं।

दिनांक 5 अगस्त 1969

सं० 2-20/69-स्थापना 1—इस विभाग की अधिसूचना संख्या एफ० 2-20/69-स्थापना 1 दिनांक 19 अप्रैल 1969 का अधिकरण करते हुये, राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायकों के ग्रेड (ग्रेड-4) के निम्नलिखित स्थायी अधिकारियों को, जो खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय (कृषि विभाग) से सम्बन्ध रखते हैं, उनके नामों के सम्मुख दी गई अवधियों के लिये, विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय, नागपुर में स्थानापन्न रूप से अनुभाग अधिकारियों के पद पर नियुक्त करते हैं:—

पूर्वाह्न से अपराह्न तक

- | | | |
|--------------------------|----------|-----------|
| 1. श्री बी० वी० चाहाण्डे | 3-2-1969 | 26-6-1969 |
| 2. श्री बी० धर्म राव | 3-2-1969 | 20-5-1969 |

दिनांक 7 अगस्त 1969

सं० 2-1/69-स्थापना 1—राष्ट्रपति, सहायकों के ग्रेड (केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-4) के निम्नलिखित स्थायी अधिकारियों को उनके सम्मुख दी गई अवधियों के लिये खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय के कृषि विभाग में स्थानापन्न रूप से अनुभाग अधिकारियों के पदों पर नियुक्त करते हैं :—

- 1 श्री ए० एन० समेनेना 3-6-1969 के पूर्वाह्न से 11-7-1969 के अपराह्न तक, कृषि विभाग में।
- 2 श्री बी० डी० गर्मा 4-6-1969 के पूर्वाह्न से 5-7-1969 के अपराह्न तक, कृषि विभाग में।
- 3 श्री वी० आर० पुगे 14-6-1969 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक कृषि विभाग में।
- 4 श्री गुरनाम मिह 23-6-1969 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक वनस्पति, रक्षा, सरोध तथा संचयन निदेशालय, फरीदाबाद में।

सं० 27-666/69-स्थापना-5—श्री जे० एस० सर्मा की सेवाये, जो खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय के कृषि विभाग में संयुक्त-आयुक्त (योजना समन्वय) हैं और पदेन अर्थ तथा सांख्यिकी सलाहकार हैं, 20-2-1969 (अपराह्न) से दो महीने के लिए भारत से बाहर विदेश सेवा में प्रतिनियुक्ति पर वंगकोक में मयुक्त राष्ट्रों के एशिया और दूर-पूर्व के लिए आर्थिक कमीशन (इकेफ) को सौंप दी गई थी।

2 श्री जे० एस० सर्मा ने, इकेफ के साथ विदेश सेवा की समाप्ति पर, 21 अप्रैल, 1969 के पूर्वाह्न से कृषि विभाग में संयुक्त आयुक्त (योजना समन्वय) और पदेन अर्थ तथा सांख्यिकी सलाहकार के पद के कार्यभार को संभाल लिया।

एस० जी० सुन्दरम, अवर सचिव

नई दिल्ली-1, दिनांक 31 जुलाई 1969

सं० 1-20/68-वाह्य स्थापना 2—राष्ट्रपति, श्री आर० एन० बडशी को जो केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी वर्ग के एक स्थायी अधिकारी कृषि विभाग के संवर्ग में हैं और आजकल दिल्ली दुग्ध योजना में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त पर हैं, अस्थायी रूप से आगामी आदेशों तक, 5 जुलाई 1969 के पूर्वाह्न से दिल्ली दुग्ध योजना में कार्मिक अधिकारी (श्रेणी-1) के पद पर नियुक्त करते हैं।

दिनांक 5 अगस्त 1969

सं० 30-35/69-ई० ई०-1—राष्ट्रपति जी, समन्वेषी नलकूप संस्था, फरीदाबाद के कनिष्ठ भूविज्ञानी डाक्टर वी० रामेसम को

24-6-1969 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक उसी संस्था में वरिष्ठ भूविज्ञानी के पद पर अस्थायी रूप में नियुक्त करते हैं।

दिनांक 6 अगस्त 1969

सं० 31-58/69-वाह्य स्थापना 2—राष्ट्रपति, श्री एच० एल० चावला को, जो कि अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय में सहायक अर्थ एवं सांख्यिकी सलाहकार हैं, उसी निदेशालय में 1-5-1969 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक विशेषज्ञ (फार्म प्रबन्ध) के पद पर नियुक्त करते हैं।

दिनांक 7 अगस्त 1969

सं० 31-43/69-वाह्य स्थापना 2—राष्ट्रपति, अर्थ और सांख्यिकी निदेशालय में भारतीय अर्थ सेवा के ग्रेड-1 के एक अधिकारी और अपर अर्थ और सांख्यिकीय सलाहकार, श्री आर० एन० कौशिक को, उसी निदेशालय में श्री रामशरण के स्थान पर जो कि इस विभाग में संयुक्त (योजना समन्वय) के पद पर नियुक्त किये गये थे, 21-2-1969 (पूर्वाह्न) से 21-4-1969 (पूर्वाह्न) तक की अवधि के लिये विशेष सलाहकार (खाद्य) नियुक्त करते हैं।

रघुवीर नारायण, अवर सचिव

(सामुदायिक विकास तथा सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1 अगस्त 1969

सं० एफ० 1/1/69-प्रशा०—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड के स्थायी अफसर, श्री एल० एम० कानूगा की डम सेवा के ग्रेड-1 में स्थानापन्न रूप से नियुक्ति को 12 जुलाई, 1969 (पूर्वाह्न) से 24 जुलाई, 1969 तक जारी रखने की अनुमति देते हैं।

राष्ट्रपति, खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय के सामुदायिक विकास विभाग में अवर सचिव के पद पर श्री एल० एम० कानूगा की नियुक्ति को उपर्युक्त अवधि के लिए जारी रखने की अनुमति भी देते हैं।

राम देव, अवर सचिव

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 जुलाई 1969

सं० एफ० 4-15/69-ई०-1—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड के एक स्थायी अधिकारी श्री सरन सिंह को 6 जून 1969 से 7 जून 1969 तक सेवा के प्रथम ग्रेड में स्थानापन्न तौर से सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. राष्ट्रपति, श्री सरन सिंह को उक्त अवधि के लिए शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में अवर सचिव के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

सं० एफ० 4-15/69-ई० I—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड के एक स्थायी अधिकारी श्री सरन सिंह को 9 जून, 1969 से 11 जुलाई, 1969 तक सेवा के प्रथम ग्रेड में स्थानापन्न तौर से सहर्ष नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, श्री सरन सिंह को उक्त अवधि के लिए शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में अवर सचिव के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

सं० एफ० 4-15/69-ई० 1—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड के एक स्थायी अधिकारी श्री कंबर लाल को 1-7-1969 (पूर्वाह्न) से 31-7-1969 (अपराह्न) तक सेवा के प्रथम ग्रेड में स्थानापन्न तौर से सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. राष्ट्रपति, श्री कंबर लाल को उक्त अवधि के लिए शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में अवर सचिव के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

दिनांक 29 जुलाई 1969

सं० एफ० 15/239/64-ई० I—राष्ट्रपति, शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय की सहायक शिक्षा सहायक कुमारी एस० राजन को 1 जुलाई 1969 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने की सहर्ष अनुमति देते हैं।

2. राष्ट्रपति कुमारी एस० राजन की अधिवाषिकी आयु हो जाने पर "अस्वीकृत छुट्टी के रूप में" 20 जुलाई 1969 से 14 दिन का अर्जित अवकाश तथा उसके साथ 6 दिन का अर्ध-वेतन अवकाश भी सहर्ष स्वीकृत करते हैं।

दिनांक 6 अगस्त 1969

सं० एफ० 4-20/69-ई० I—राष्ट्रपति, शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय के निम्नलिखित स्थायी सहायकों को, उसी मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी के पदों पर, उनके नामों के सामने दी गई और आगे अवधि के लिए सहर्ष नियुक्त करते हैं :—

नाम	से	तक
1. श्री जे० सी० मरवाहा	1-8-69	30-8-69
2. श्री आर० एस० भाटिया	1-8-69	21-8-69
3. श्री राम सरन लाल	1-8-69	28-8-69
4. श्री एस० के० दास	1-8-69	31-8-69
5. श्री बी० आर० सोहस	12-7-69	31-7-69

के० एस० अहलुवालिया, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 31 जुलाई 1969

सं० एफ० 4-1/69-ई० 1—भारत सरकार, शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय के सचिव एतद्द्वारा श्री एच० सी० मलिक तकनीकी सहायक (प्रवर वर्ग), को उसी मंत्रालय में दिनांक 7 जुलाई 1969 पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक सहायक शिक्षा अधिकारी (सामान्य) के रूप में स्थानापन्न तौर से नियुक्त करते हैं।

के० एस० अहलुवालिया, अवर सचिव, कृते सचिव

संचार विभाग

नई दिल्ली-1, दिनांक 7 अगस्त 1969

सं० 2 ओ० सी० (4)/68—विदेश संचार सेवा में उप-महा-निदेशक (परियात) के रूप में श्री जी० डी० गोकर्ण की नियुक्ति के परिणामस्वरूप, उक्त पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य कर रहे श्री एम० जे० गांधी 7 मई, 1969 में, निदेशक के अपने मूल पद पर पत्यावर्तित हो गए।

मुजान मिह प्रूथी, अवर सचिव

नई दिल्ली-1, दिनांक 6 अगस्त 1969

सं० 4-इ० (51)/69—राष्ट्रपति ने अनुश्रवण संगघटन के एक स्थानापन्न कार्यभारी इंजीनियरी श्री आर० एन० अग्रवाल को 1-8-1969 से अगले आदेशों तक संचार विभाग के बेंगलूर आयोजना तथा समन्वय स्कंध में स्थानापन्न सहायक बेंगलूर सलाहकार के रूप में विशुद्ध तदर्थ तथा अनन्तितम आधार पर, सहर्ष नियुक्त किया है। इसके साथ ही वे, अगले आदेशों तक अनुश्रवण संगघटन के कार्य-भारी इंजीनियर के पद पर भी बराबर कार्य करते रहेंगे तथा इसके लिये उन्हें कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक देय न होगा।

दिनांक 8 अगस्त 1969

सं० 4-ई० (33)/69—डाक व तार निदेशालय में अनुभाग अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (संचार विभाग संवर्ग) के अनुभाग अधिकारी पदक्रम के एक स्थायी पदाधिकारी श्री के० डी० श्रीवारतव की सेवायें अवर सचिव के रूप में नियुक्ति के लिए 1-8-1969 (पूर्वाह्न) में विधि मंत्रालय को सौंप दी गयी।

ओम प्रकाश शर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली-1, दिनांक 4 अगस्त 1969

सं० 4-इ० (35)/69-क—राष्ट्रपति ने, महा डाक पाल् पदक्रम के निम्न लिखित स्थायी पदाधिकारियों को उनके आगे लिखी तारीखों से डाक व तार बोर्ड के सदस्य के पद पर, मौलिक रूप से सहर्ष नियुक्त किया है :—

क्रम सं०	नाम	जिस पद पर पुष्टि हुई।	जिस तारीख से पुष्टि हुई।
1.	श्री एल० के० नारायणस्वामी	सदस्य (प्रशासन)	10-11-67
2.	श्री मदन किशोर	सदस्य बैंकिंग तथा बीमा	11-11-67
3.	श्री सी० ए० कार्नीलियस	सदस्य (दूर-संचार विकास)	25-12-68

सं० 4-इ० (35)/69-ख—राष्ट्रपति ने डाक व तार बोर्ड के सदस्य पदक्रम के निम्नलिखित स्थायी पदाधिकारियों को उनके आगे लिखी तारीखों से डाक व तार बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य के पद पर, मौलिक रूप से सहर्ष नियुक्त किया है :—

क्रम सं०	नाम	जिस पद पर पुष्टि हुई	जिस तारीख से पुष्टि हुई
1.	श्री एल० के० नारायणस्वामी	वरिष्ठ सदस्य (डाक)	1-1-69
2.	श्री सी० ए० कार्नीलियस	वरिष्ठ सदस्य (दूरसंचार परिचालन)	23-1-69

सं० 4-इ० (35)/69-ग—राष्ट्रपति ने महा डाक पाल पदक्रम के निम्नलिखित स्थायी पदाधिकारियों को उनके आगे लिखी तारीखों से डाक व तार बोर्ड के सदस्य के पद पर, मौलिक रूप से सहर्ष नियुक्त किया है :—

क्रम सं०	नाम	जिस पद पर पुष्टि हुई	जिस तारीख से पुष्टि हुई
1.	श्री सी० पी० वासुदेवन	सदस्य (प्रशासन)	1-1-69
2.	श्री के० एन० आर० पिल्लै	सदस्य (दूरसंचार विकास)	23-1-69

आनन्दस्वरूप भटनागर, उप-सचिव

पोत परिवहन तथा परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, दिनांक 5 अगस्त 1969

(व्यापारिक पोतपरिवहन)

सं० 2-एम० ए० (6)/69—निवृत्तिपूर्व छुट्टी की समाप्ति पर, श्री टी० बेरी, मुख्य अधिकारी, जल परिवहन विभाग, बम्बई, को 31 अगस्त 1969 से सेवा से निवृत्त होने की अनुमति दी जाती है।

राम किशोर, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 8 अगस्त 1969

सं० ई०-1(15)/69—पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के सहायक वर्ग के स्थायी अधिकारी श्री के० के० सराफ को राष्ट्रपति, 4 सितम्बर 1969 में अगला आदेश होने तक उसी सेवा के अनुभाग अधिकारी वर्ग में स्थानापन्न तौर पर नियुक्त करते हैं।

2. श्री के० के० सराफ, सहायक, सड़क पक्ष, को स्थानापन्न तौर पर परिवहन पक्ष में श्री शिव राम, अनुभाग अधिकारी, जिन्हें

अवर सचिव के रूप में खाद्य विभाग में स्थानान्तरित किया गया है, के स्थान में अनुभाग अधिकारी नियुक्त किया गया है।

गोपाल लाल मलहोत्रा, अवर सचिव

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 7 अगस्त 1969

सं० ई० (आर० बी०) I/69/एल० ई० 2/1—रेलवे बोर्ड में अनुभाग अधिकारी श्री के० एल० पुरी 7 अगस्त 1969 के अपराह्न से सेवा-निवृत्त हो गये।

दिनांक 11 अगस्त 1969

सं० ई० (जी० पी०) 65/6/8—राष्ट्रपति, कृपापूर्वक दक्षिण-पूर्व रेलवे में अस्थायी सहायक इंजीनियर श्री गी० के० मुन्दर को 29-3-1966 से, इंजीनियरों की भारतीय रेल सेवा के कनिष्ठ वेतनमान में स्थायी रूप से नियुक्त करते हैं।

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की 1-5-1969 की अधिसूचना सं० (जी० पी०) 65/6/8 को, जिसमें दक्षिण-पूर्व रेलवे में अस्थायी सहायक इंजीनियर श्री सी० के० सुन्दर बाबू को 29-3-1966 से इंजीनियरों की भारतीय रेल सेवा के कनिष्ठ वेतनमान में स्थायी रूप से समाहित किये जाने की अधिसूचना जारी की गयी थी, एतद् द्वारा रद्द किया जाता है।

सं० ई० (ओ०) 3-69 पी० एम० 6/38—उत्तर रेलवे पर कनिष्ठ प्रशासनिक पदक्रम में उप मुख्य वाणिज्य अधीक्षक, श्री के० बी० माधुर को 8 मार्च, 1969 से उसी रेलवे पर मध्यवर्ती प्रशासनिक पदक्रम में स्थानापन्न रूप से उप-मुख्य कार्मिक अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

2. उत्तर रेलवे पर कनिष्ठ प्रशासनिक पदक्रम में स्थानापन्न उप मुख्य इंजीनियर श्री पी० डी० जैन को, 14 मार्च 1969 के अपराह्न से उसी रेलवे पर मध्यवर्ती प्रशासनिक पदक्रम में स्थानापन्न रूप से मण्डल अधीक्षक नियुक्त किया जाता है।

3. पश्चिम रेलवे पर कनिष्ठ प्रशासनिक पदक्रम में स्थानापन्न मण्डल अधीक्षक श्री टी० पी० सुब्रह्मण्यन को 13 मार्च 1969 से उसी रेलवे पर मध्यवर्ती प्रशासनिक पदक्रम में स्थानापन्न रूप से उप मुख्य कार्मिक अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. पश्चिम रेलवे पर कनिष्ठ प्रशासनिक पदक्रम में स्थानापन्न उप मुख्य इंजीनियर, श्री ए० बी० जैकब को 11 मार्च 1969 के अपराह्न से उसी रेलवे पर मध्यवर्ती प्रशासनिक पदक्रम में स्थानापन्न रूप से मण्डल अधीक्षक नियुक्त किया जाता है।

5. पश्चिम रेलवे पर कनिष्ठ प्रशासनिक पदक्रम में स्थानापन्न मण्डल अधीक्षक, श्री एच० आई० मोटियानी को 5 मार्च 1969 से उसी रेलवे पर मध्यवर्ती प्रशासनिक पदक्रम में स्थानापन्न रूप से मण्डल अधीक्षक नियुक्त किया जाता है।

6. मध्य रेलवे से स्थानान्तरण पर, कनिष्ठ प्रशासनिक पदक्रम में स्थानापन्न उप-मुख्य वाणिज्य अधीक्षक श्री एम० पी० साठ्ठे को, 20 मार्च, 1969 से पश्चिम रेलवे पर मध्यवर्ती प्रशासनिक पदक्रम में स्थानापन्न रूप से मण्डल अधीक्षक नियुक्त किया जाता है।

7. पश्चिम रेलवे पर कनिष्ठ प्रशासनिक पदक्रम में स्थानापन्न उप-महाप्रबन्धक (सामान्य), श्री जे० एस० खेरगामवाला को 3 मार्च, 1969 से उसी रेलवे पर मध्यवर्ती प्रशासनिक पदक्रम में स्थानापन्न रूप से उप-महाप्रबन्धक (सामान्य) नियुक्त किया जाता है।

सं० ई० (ओ०) 3-69 पी० एम० 6/155—मध्य रेलवे से स्थानान्तरण पर, मध्यवर्ती प्रशासनिक पदक्रम में स्थानापन्न उप-मुख्य सिगनल एवं दूर-संचार इंजीनियर, श्री आर० के० दाण्डेकर को 25 जून, 1969 से उत्तर रेलवे में स्थानापन्न रूप से मुख्य सिगनल एवं दूर-संचार इंजीनियर (निर्माण) नियुक्त किया जाता है।

दिनांक 12 अगस्त 1969

सं० ई० (ओ०) 3-69 पी० एम० 6/30— 1. उत्तर रेलवे के श्री एम० राम जी को, जो कनिष्ठ प्रशासनिक पदक्रम में उप-मुख्य लेखा अधिकारी हैं, 21 फरवरी, 1969 से उसी रेलवे पर मध्यवर्ती प्रशासनिक पदक्रम में स्थानापन्न रूप से उप-वित्त सलाहकार नियुक्त किया जाता है।

2. रेलवे स्टाफ कालिज, बड़ौदा से स्थानान्तरण पर, वरिष्ठ लेखा अधिकारी (अनुदेश), श्री जी० सी० शर्मा को 6 मार्च, 1969 से पश्चिम रेलवे पर कनिष्ठ प्रशासनिक पदक्रम में, स्थानापन्न रूप से, उप-वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. दक्षिण रेलवे से स्थानान्तरण पर, कनिष्ठ प्रशासनिक पदक्रम में उप-मुख्य लेखा अधिकारी, श्री के० सुब्रह्मण्यम को 15 मार्च, 1969 से पश्चिम रेलवे पर मध्यवर्ती प्रशासनिक पदक्रम में, स्थानापन्न रूप से, उप-वित्त सलाहकार नियुक्त किया जाता है।

4. पश्चिम रेलवे के वरिष्ठ लेखा अधिकारी, श्री ज्ञान सागर को 31 मार्च, 1969 से उसी रेलवे पर कनिष्ठ प्रशासनिक पदक्रम में, स्थानापन्न रूप से, उप-मुख्य लेखा अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

सं० ई० (ओ०) 3-69 पी० एम० 6/123—उत्तर रेलवे में, भारतीय रेल यातायात सेवा के एक वरिष्ठ वेतनमान अधिकारी श्री जे० के० बाली को 7 मई, 1969 से, उसी रेलवे में, कनिष्ठ प्रशासनिक पदक्रम में, स्थानापन्न क्षेत्र अधीक्षक, कानपुर नियुक्त किया जाता है।

सं० ई० (ओ०) 3-69 पी० एम० 6-165—मध्य रेलवे में, मध्यवर्ती प्रशासनिक ग्रेड के स्थानापन्न इंजीनियर प्रमुख श्री एम० एल० गुप्त को उसी रेलवे में, 24 जून, 1969 के अपराह्न से स्थानापन्न मुख्य इंजीनियर (सर्वेक्षण और निर्माण) नियुक्त किया जाता है।

सं० ई० (ओ०) 3-69 पी० एम० 6/172—उत्तर रेलवे में, यांत्रिक इंजीनियरों की भारतीय रेल सेवा के एक वरिष्ठ वेतनमान अधिकारी, श्री एस० एन० महन्त को, 12 जून, 1969 से, उसी

रेलवे में कनिष्ठ प्रशासनिक पदक्रम में स्थानापन्न उप-मुख्य यांत्रिक इंजीनियर के रूप में नियुक्त किया जाता है।

सं० ई० (ओ०) 3-69 पी० एम० 6/176—दक्षिण-पूर्व रेलवे में, भारतीय रेल यातायात सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी, श्री एस० के० खन्ना को, 8 जुलाई, 1969 से उसी रेलवे में, मध्यवर्ती, प्रशासनिक ग्रेड में, स्थानापन्न रूप से मुख्य जन-संपर्क अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

बी० एम० कौल सचिव, रेलवे बोर्ड

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 31 जुलाई 1969

सं० 5/16/69-प्रशासन-दो—राष्ट्रपति ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संवर्ग में केन्द्रीय सचिवालय आणुलिपिक सेवा के ग्रेड दो के निम्नलिखित स्थायी अधिकारियों को केन्द्रीय सचिवालय आणुलिपिक सेवा के ग्रेड एक में 31 जुलाई, 1969 से अगले आदेश होने तक, स्थानापन्न रूप में काम करने के लिए नियुक्त किया है।

क्रम सं०	नाम	कार्यालय जहाँ काम कर रहे हैं
1.	श्री एल० आर० लालचन्दानी	इंडियन इन्स्टिट्यूट आफ कम्यूनिकेशन्स में प्रति-नियुक्ति पर
2.	श्री एम० ए० रामन	मुख्य सचिवालय

2. उपरोक्त दोनों अधिकारियों को मुख्य सचिवालय में पूर्वोक्त तारीख से ग्रेड एक आणुलिपिक के रूप में तैनात किया गया है।

दिनांक 5 अगस्त 1969

सं० 1/के०/27-प्रशासन-2—राष्ट्रपति ने श्री कविर कुमार खान, आइ० ए० एस० को, बिहार सरकार से स्थानान्तरित होने पर, दिनांक 29 जुलाई 1969 की पूर्वाह्न से, अगले आदेश होने तक, सूचना और प्रसारण मंत्रालय में भारत सरकार के अवर सचिव के रूप में नियुक्त किया है।

रूप किशोर गोविल, उप-सचिव

नई दिल्ली-1, दिनांक 31 जुलाई 1969

शुद्धि-पत्र

सं० 6/5/69-प्रशासन-दो—इस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 6/5/69-प्रशासन-दो, दिनांक 22 फरवरी 1969 की अन्तिम पंक्ति में "फरवरी 1, 1969" के बदले "जनवरी 31 1969" पढ़ा जाय।

ब० कु० खान, अवर सचिव

नई दिल्ली-1, दिनांक 5 अगस्त 1969

सं० 16(18)/69-बी० (डी०)—राष्ट्रपति ने श्री एम० क० भट्टाचर्जी, सहायक केन्द्र इन्जीनियर, आकाशवाणी, कुम्भियांग, को 7 जुलाई, 1969 से अगले आदेश तक, केन्द्र इन्जीनियर के संवर्ग में स्थानापन्न रूप से नियुक्त कर उन्हें आकाशवाणी, हैदराबाद में केन्द्र इन्जीनियर तैनात किया है।

सी० बी० गिरिधर, अवर सचिव

महानिदेशक : आकाशवाणी

नई दिल्ली, दिनांक 23 जुलाई 1969

सं० 2/47/68-स्कार—विदेश में प्रतिनियुक्ति होने पर, श्री के० के० शर्मा, सहायक अभिमाना, आकाशवाणी, नई दिल्ली ने 16 मार्च, 1969 के अपराह्न को अपने पद का कार्यभार छोड़ दिया।

सी० एस० राव, उपनिदेशक, प्रशासन

श्रम, रोजगार और पुनर्वासि मंत्रालय

(श्रम और रोजगार विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 14 जुलाई 1969

सं० 11/17/68-प्रशासन-1—राष्ट्रपति जी श्रम, रोजगार और पुनर्वासि मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) में श्रम और पुनर्वासि मंत्री के निजी सचिव के रूप में श्री एस० एल० खन्ना की पुनर्नियोजन की अवधि को (जिन्हें इस विभाग की इसी संख्या की अधिसूचना, दिनांक 7 अगस्त, 1968 द्वारा 9 अगस्त 1968 के अपराह्न से एक साल के लिए पुनर्नियोजित किया गया था) 10 अगस्त, 1969 से दो वर्ष तक या जब तक वह उक्त पद पर बने रहते हैं, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

दिनांक 25 जुलाई 1969

सं० 1/6/69-प्रशासन-1—राष्ट्रपति जी इस विभाग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में सहायक के ग्रेड के स्थायी अधिकारी और रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय के सहायक, श्री ईश्वर दयाल को श्री आर० पी० तहला, अनुभाग अधिकारी के स्थान पर, जिन्हें छुट्टी मंजूरी की गई है, 10 जुलाई, 1969 के पूर्वाह्न

से 26 दिन की अवधि के लिए मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) कार्यालय नई दिल्ली, में स्थानापन्न रूप में अनुभाग अधिकारी नियुक्त करते हैं।

पी० आर० नैयर, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 5 अगस्त 1969

सं० 21/6/69-एल० डब्ल्यू० आर्डी०-2—राष्ट्रपति जी भारतीय अर्थ सेवा के ग्रेड 4 अधिकारी और सहायक निदेशक, श्री ओ० एन० चेतल को 8 जुलाई, 1969 से तदर्थ आधार पर अगला आदेश जारी होने तक बिल्कुल अस्थायी रूप से श्रम ध्यूरो, शिमला में स्थानापन्न रूप से उप-निदेशक नियुक्त करते हैं।

महिन्द्र किशोर, अवर सचिव

(पुनर्वासि विभाग)

नई दिल्ली-11, दिनांक 4 अगस्त 1969

सं० 8(180)/64-प्रशासन-I—जाम्बिया सरकार की सेवा से वापस आने पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के प्रवरण ग्रेड के स्थायी अधिकारी श्री पी० बी० गोपालन ने 24 जुलाई, 1969 के पूर्वाह्न से श्रम, रोजगार तथा पुनर्वासि मंत्रालय के पुनर्वासि विभाग में भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद का कार्यभार सम्भाल लिया है।

सं० 8(553)/66-प्रशासन-I—केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा के ग्रेड II के स्थायी अधिकारी श्री एस० डी० भाटिया को जो कि श्रम, रोजगार तथा पुनर्वासि मंत्रालय के पुनर्वासि विभाग में सेवा के ग्रेड I में स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे थे 30 जुलाई, 1969 के पूर्वाह्न से इसी विभाग में स्टेनोग्राफर सेवा के ग्रेड II में प्रत्यावर्तित कर दिया गया है।

सं० 8(553)/66-प्रशासन-I—पश्चिम बंगाल सरकार से वापस आने पर केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-I के अधिकारी श्री सत्यपाल ने 30 जुलाई, 1969 के पूर्वाह्न से श्रम, रोजगार तथा पुनर्वासि मंत्रालय के पुनर्वासि विभाग में सेवा के ग्रेड-I के पद का कार्यभार सम्भाल लिया है।

जानकी नाथ, अवर सचिव

PRIME MINISTER'S SECRETARIAT

New Delhi-11, the 12th August 1969

No. F.61/106/68-PMA.—The President is pleased to grant Shri S. D. Chari, Section Officer in the Prime Minister's Secretariat, extension of service for a further period of one year with effect from the 1st October, 1969.

S. P. KHANNA, Private Secy.
to the Prime Minister

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi-1, the 2nd August 1969

No. PF.519(3)/AN-I/GN-86/69.—In continuation of this Secretariat Notification No. 519(3)/AN-I/GN-80/69 dated the 3rd June, 1969, Shri S. L. Puri, permanent Assistant and officiating Assistant Committee Officer, will continue to officiate as Section Officer in the leave vacancy caused by grant

of leave to Shri P. P. Singh, Section Officer for a period from 1st August, 1969 to 4th September, 1969.

AVTAR SINGH RIKHY, Jt. Secy.

New Delhi-1, the 4th August 1969

No. PF.315(3)/AN-I/GN-87/69.—Shri H. P. Sarin, permanent Assistant Reference Officer and officiating Assistant Information Officer, is appointed as Reference Officer in an officiating capacity with effect from the 25th July, 1969 until further orders.

No. PF.73(3)/AN-I/GN-88/69.—Shri G. Venkataya, permanent Assistant Reference Officer, is appointed as Assistant Information Officer in an officiating capacity with effect from the 28th July, 1969, until further orders.

No. PF.396(3)/AN-I/GN-90/69.—Shri M. L. Pareek, permanent Assistant Reference Officer is appointed as Reference Officer in an officiating capacity with effect from the 4th August, 1969 until further orders.

The 8th August 1969

No. 38/1/69/T.—Shri G. S. Dhillon, a Member of Lok Sabha, has been chosen as the Speaker of Lok Sabha on the afternoon of the 8th August, 1969.

S. L. SHAKDHER, Secy.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 31st July 1969

No. F. 6(597)/66-Adm.I.—The services of Shri P. K. J. Menon, IAS, Adviser (Programme Administration) and *ex-officio* Additional Secretary to the Government of India in the Planning Commission were placed at the disposal of the Government of Bihar with effect from the 10th, July, 1969 (afternoon).

D. DAS, Under Secy.

DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE

New Delhi-1, the 4th August 1969

No. 2(6)/69-Estt.—Shri G. C. Bhardwaj, an officiating Grade II Stenographer of the Central Secretariat Stenographers' Service in the Cadre of the Department of Social Welfare, is appointed until further orders to officiate as Private Secretary to the Deputy Minister for Law and Social Welfare with effect from the 19th May, 1969.

S. SATHYAM, Under Secy.

MINISTRY OF LAW

Department of Legal Affairs

New Delhi, the 21st July, 1969

No. F. 12(56)/69-Adm.I(LA).—The President is pleased to appoint Shri J. H. Parekh, a permanent Superintendent (Legal) in the Department of Legal Affairs, Ministry of Law, and officiating Assistant Legal Adviser (Grade IV of the Central Legal Service) in the Branch Secretariat of that Department, at Bombay, to officiate as Deputy Legal Adviser (Grade III of the Central Legal Service) in the said Branch Secretariat for the period from the forenoon of the 1st July, 1969 to the afternoon of the 30th September, 1969.

No. F. 12(56)/69-Adm.I(LA).—The President is pleased to appoint Shri Nahar Chand Gupta, a permanent officer of the Punjab State Civil (Judicial) Service and officiating as Assistant Legal Adviser to the Government of India (Grade IV of the Central Legal Service) in the Department of Legal Affairs, Ministry of Law, New Delhi, to officiate as Deputy Legal Adviser (Grade III of the Central Legal Service) in that Department, at New Delhi, for the period from the forenoon of the 1st July, 1969 to the afternoon of the 30th September, 1969.

The 22nd July 1969

No. F. 12(54)/69-Adm.I(LA).—The Secretary to the Government of India in the Ministry of Law, Department of Legal Affairs, hereby appoints Shri Prithi Paul Singh a permanent Grade II Officer of the Central Secretariat Stenographers' Service in the Law Ministry's cadre of that service to officiate as Private Secretary to the Solicitor General of India in that Department with effect from the forenoon of the 19th July, 1969 and until further orders.

N. SRINIVASAN, Under Secy.

New Delhi, the 18th July 1969

No. F. 12(49)/69-Adm.I(LA).—The President is pleased to appoint Shri P. V. Swatlu, a permanent Deputy Legal

Adviser (Grade III of the Central Legal Service) and officiating Additional Legal Adviser (Grade III of the Central Legal Service) in the Department of Legal Affairs, Ministry of Law, New Delhi, to officiate as Joint Secretary & Legal Adviser (Grade I of the Central Legal Service) in that Department for the period from the forenoon of the 5th June, 1969, to the afternoon of the 26th July, 1969.

S. BALAKRISHNAN, Jt. Secy. & Legal Adviser

New Delhi, the 8th August 1969

No. F. 12(62)/69-Adm.I(LA).—On termination of the deputation of Shri G. Gopalakrishnan as Secretary, Legislative and Judicial Department, Government of Pondicherry, the President is pleased to appoint Shri G. Gopalakrishnan, a permanent Deputy Legal Adviser (Grade III of the Central Legal Service) in the Department of Legal Affairs, Ministry of Law, to officiate as Additional Legal Adviser (Grade II of the Central Legal Service) in that Department, at New Delhi, with effect from the forenoon of the 15th July, 1969, and until further orders.

S. BALAKRISHNAN, Jt. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-1, the 5th August 1969

(To be substituted for this Ministry's Notification of the same number dated the 22nd July, 1969)

No. F. 4/38/69-CS(I).—The President is pleased to appoint Shri Mahendra Prasad, a permanent officer of Grade I of the Central Secretariat Service (Ministry of Irrigation and Power), to officiate in the Selection Grade of the Service with effect from the forenoon of 1st May, 1969, until further orders.

No. F. 4/36/69-CS(I).—The President is pleased to appoint Shri A. S. Sethi, a permanent officer of Grade I of the Central Secretariat Service (Department of Foreign Trade) to officiate in the Selection Grade of the Service with effect from the forenoon of 1st August, 1969 until further orders.

The 7th August 1969

No. F. 4/36/69-CS(I).—The President is pleased to appoint Shri J. K. Ahluwalia, a permanent Section Officer of the Central Secretariat Service (of the cadre of the Department of Labour and Employment), to officiate in Grade I of the Service with effect from the forenoon of 1st June, 1969, until further orders.

The 8th August 1969

No. F. 4/38/69-CS(I).—The President is pleased to appoint Shri R. Dayal, a permanent officer of Grade I of the Central Secretariat Service [Ministry of Foreign Trade & Supply (Department of Supply)] to officiate in the Selection Grade of the Service with effect from the forenoon of 21st July, 1969, until further orders.

M. K. VASUDEVAN, Under Secy.

New Delhi-1, the 6th August 1969

No. 1/14/69-AIS(IV).—Under rule 6 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules 1966, the President is pleased to appoint Shri Bakshish Singh who competed successfully at the Indian Forest Service Examination held in 1968, to the Indian Forest Service on probation with effect from the 12th June, 1969.

2. The allotment in respect of Shri Bakshish Singh to the State Cadre will be notified separately.

The 8th August 1969

CORRIGENDUM

No. 7/11/69-AIS(IV).—In the last line of this Ministry's Notification No. 711/69-AIS(IV), dated the 30th July, 1969—

for the figures and words "30th July, 1969" substitute "21st December, 1968".

M. R. BHARDWAJ, Under Secy.

New Delhi-1, the 6th August 1969

No. 4/23/69-P.III.—The President is pleased to appoint Shri Sarath Chandra, I.P.S. to officiate in the post of Assistant Director in the Intelligence Bureau at New Delhi with effect from the forenoon of the 1st June, 1969, and until further orders.

2. Consequent on his appointment as Assistant Director, Shri Sarath Chandra relinquished the charge of the post of Joint Assistant Director in the Intelligence Bureau at New Delhi on the forenoon of the 1st June, 1969.

No. 4/23/69-P.III.—The President is pleased to appoint Shri Ranjan Roy, I.P.S. to officiate in the post of Assistant Director in the Intelligence Bureau at Calcutta with effect from the forenoon of the 1st June, 1969 and until further orders.

2. Consequent on his appointment as Assistant Director, Shri Ranjan Roy relinquished the charge of the post of Joint Assistant Director in the S.I.B., Calcutta on the forenoon of the 1st June, 1969.

P. B. RAJAGOPALAN, Under Secy.

New Delhi-1, the 12th August 1969

No. 125/16/69-AdJ(B).—The President is pleased to appoint Sarvashri Satya Prakash and R. L. Piplani, permanent Stenographers Grade II of the Central Secretariat Stenographer Service, cadre of the Ministry of Home Affairs to officiate in Grade I of that service with effect from the dates mentioned against each until further orders:—

Shri Satya Prakash—with effect from 9-7-1969.

Shri R. L. Piplani—with effect from 25-7-1969.

S. NATARAJAN, Under Secy.

New Delhi-1, the 11th August 1969

No. 19/6/69-Estt.(E).—The President is pleased to accept the resignation of Dr. C. M. Palvia, a permanent Grade III officer, of the Indian Economic Service and Joint Director (Socio-Economic) in the National Buildings Organisation, from the Indian Economic Service with effect from the 19th May, 1969.

The 6th August 1969

No. F. 35/9/69-Estt.(E).—Shri T. Dutta, a permanent Grade IV officer of the Indian Statistical Service officiating in Grade III of the Service and Deputy Director, Central Statistical Organisation, Department of Statistics, retired from the service with effect from the forenoon of July 1, 1969.

HARISH CHANDRA, Under Secy.

New Delhi-1, the 12th August 1969

No. 14/65/68-HMT.—In exercise of the powers conferred by Clause (1) of Article 239 of the Constitution, the President hereby appoints with effect from the afternoon of the 6th August, 1969, Shri M. R. Yardi, as Administrator of the Union Territory of Manipur with the designation of Chief Commissioner *vice* Shri Baleshwar Prasad, I.A.S.

2. Shri M. R. Yardi will hold office as Chief Commissioner of Manipur in addition to his office as Additional Secretary, Ministry of Home Affairs.

A. D. PANDE, Joint Secy.

New Delhi-1, the 6th August 1969

No. 6/36/68-ER.—The President is pleased to appoint Shri H. D. Kapil, Security Officer (External), Ministry of Home Affairs, as Senior Staff Officer (Home Guards), in the Ministry, with effect from the 28th July, 1969, until further orders.

G. D. GUPTA, Dy. Secy.

New Delhi-1, the 12th August 1969

No. 8/3/69-DH(S).—Shri V. K. Chanana, I.A.S. (Uttar Pradesh), is appointed as Labour Commissioner, Delhi Administration, with effect from the forenoon of 18th June, 1969, until further orders.

R. C. JAIN, Dy. Secy.

New Delhi, the 7th August 1969

No. 1/15/69-Judl.III.—Shri Justice Ajit Nath Ray, Shri Justice Pingle Jaganmohan Reddy and Shri Justice Indar Dev Dua assumed charge of their offices as Judges of the Supreme Court of India on the forenoon of 1st August, 1969.

K. THYAGRAJAN, Dy. Secy

New Delhi-1, the 6th August 1969

No. 16/25/69-AIS(I).—Under rule 6 of the I.A.S. (Cadre) Rules, 1954, and with the concurrence of the Government of Rajasthan and Uttar Pradesh, the Central Government hereby deposes Kumari Uma Rastogi, I.A.S., of the I.A.S. Cadre Rajasthan to the Government of Uttar Pradesh for a period of one year. The deputation will take effect from the date from which Kumari Uma Rastogi relinquished the charge as I.A.S. Probationer at the National Academy of Administration, Mussoorie.

No. 27/2/69-AIS(III).—Under rule 12(b) of the I.P.S. (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to revert Shri J. A. Scott, an I.P.S. Probationer of the I.P.S. Cadre of Maharashtra, to the State Police Service with immediate effect.

A. N. BATABYAL, Dy. Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 2nd August 1969

No. 47/PB/69.—On expiry of leave preparatory to retirement, Shri K. S. Kurup, an officiating Officer of the Integrated Grade II-III of the General Cadre of the I.F.S.(B) and formerly Registrar in the Assistant High Commission of India, Kandy will superannuate on the 2nd August, 1969.

RAMESHWAR SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE

Department of Revenue and Insurance

New Delhi, the 31st July 1969

CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE ESTABLISHMENT

No. 47.—Consequent on his deputation to the Ministry of Foreign Trade and Supply (Department of Foreign Trade) for appointment as Joint Director in the Directorate of Export Promotion, Shri B. B. Julka relinquished charge of the post of Assistant Collector in the Directorate of Revenue Intelligence, New Delhi, with effect from the 8th July, 1969 (afternoon).

T. RAMASWAMY, Under Secy.

New Delhi, the 28th July 1969

INCOME-TAX ESTABLISHMENTS

No. 267.—Shri G. D. Paul Pandian, Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Range-II Calcutt, took over charge as Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Range-I, Calcutt, in addition to his own duties, on the afternoon of 11th April, 1969, *vice* Shri P. Satyanarayana Rao, proceeded on leave.

No. 268.—On return from leave, Shri P. Satyanarayana Rao has resumed duties as Appellate Assistant Commissioner of Income Tax, Range-I, Calcutt, on the forenoon of 19th May, 1969, relieving Shri G. D. Paul Pandian, Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Range-II, Calcutt, of the additional charge.

No. 269.—Shri P. Satyanarayana Rao, Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Range-I, Calcutt, took over charge as Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Range-II, Calcutt, in addition to his own duties, on the afternoon of 24th May, 1969, *vice* Shri G. D. Paul Pandian, proceeded on leave.

No. 270.—On return from leave, Shri G. D. Paul Pandian has resumed duties as Appellate Assistant Commissioner of Income Tax, Range-II, Calcutt, on the forenoon of 23rd June, 1969, relieving Shri P. Satyanarayana Rao, Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Range-I, Calcutt, of the additional charge.

No. 271.—Shri V. U. Eradi, Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Ernakulam, has taken over charge as Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Trivandrum, in addition to his own duties, on the afternoon of 30th June, 1969, *vice* Shri T. S. Jayakar, proceeded on leave.

No. 272.—On return from leave, Shri V. Subramanyam has resumed duties as Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Range-I, Calcutta, on the forenoon of 7th July, 1969, relieving Shri N. K. Dutta, Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, 'N' Range, Calcutta, of the additional charge.

No. 273.—Shri G. C. Pant, Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, 'X' Range, Calcutta, took over charge as Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, 'S' Range, Calcutta, in addition to his own duties, on the afternoon of 3rd May, 1969, *vice* Shri C. P. A. Vasudevan, proceeded on leave.

No. 274.—On return from leave, Shri C. P. A. Vasudevan has resumed duties as Appellate Assistant Commissioner of Income Tax, 'S' Range, Calcutta, on the forenoon of 30th June, 1969, relieving Shri G. C. Pant, Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, 'X' Range, Calcutta, of the additional charge.

No. 275.—Shri S. Prosad, Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, 'F' Range, Calcutta, took over charge as Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, 'G' Range, Calcutta, in addition to his own duties, on the afternoon of 3rd May, 1969, *vice* Shri S. N. Chatterjee, proceeded on leave.

No. 276.—On return from leave, Shri S. N. Chatterjee has resumed duties as Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, 'G' Range, Calcutta on the forenoon of 7th July, 1969, relieving Shri S. Prosad, Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, 'F' Range, Calcutta, of the additional charge.

No. 277.—Shri S. K. Roy, Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, 'E' Range, Calcutta, took over charge as Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, 'Y' Range, Calcutta, in addition to his own duties, on the afternoon of 9th May, 1969, *vice* Shri L. K. Balasubramanian, proceeded on leave.

No. 278.—On return from leave, Shri L. K. Balasubramanian has resumed duties as Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, 'Y' Range, Calcutta, on the forenoon of 16th June, 1969, relieving Shri S. K. Roy, Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, 'E' Range, Calcutta, of the additional charge.

No. 279.—Shri G. C. Pant, Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, 'X' Range, Calcutta, has taken over charge as Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, 'D' Range, Calcutta, in addition to his own duties, on the afternoon of 5th July, 1969, *vice* Shri R. Prasad, transferred

No. 280.—Shri R. K. Chaudhari, Appellate Assistant Commissioner of Income-tax 'B' Range, Patna, took over charge as Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, 'A'

Range, Patna, in addition to his own duties, on the afternoon of 13th June, 1969, *vice* Shri R. N. Sharma, proceeded on leave.

No. 281.—On return from leave, Shri R. N. Sharma has resumed duties as Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, 'A' Range, Patna, on the forenoon of 7th July, 1969, relieving Shri R. K. Chaudhari, Appellate Assistant Commissioner of Income Tax, 'B' Range, Patna, of the additional charge.

No. 282.—The President has been pleased to appoint Shri L. P. Dhir, Income-tax Officer, Class I, to officiate as Assistant Commissioner of Income-tax with effect from the afternoon of 1st July, 1969, and until further orders. He has taken over charge as Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, 'A' Range, Ludhiana with effect from the same date relieving Shri D. S. Sandhu, Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, 'B' Range, Ludhiana, of the additional charge.

No. 283.—On return from leave, Shri Rajindar Singh Sawhney has resumed duties as Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Jullundur Range, Jullundur, on the forenoon of 7th July, 1969, relieving Shri R. R. Gupta, Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, 'A' Range, Amritsar, of the additional charge.

No. 284.—On return from leave, Shri G. M. Kulkarni has resumed duties as Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, 'B' Range, Patiala, on the forenoon of 14th July, 1969, relieving Shri B. M. Sharma, Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, 'A' Range, Patiala, of the additional charge.

No. 285.—On return from leave, Shri Saroj Kumar has resumed duties as Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Visakhapatnam Range, Visakhapatnam, on the forenoon of 23rd June, 1969, relieving Shri P. Krishnamurthi, Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, 'A' Range, Hyderabad, of the additional charge.

No. 286.—On return from leave, Shri Chundi Lal has resumed duties as Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Bikaner Range, Bikaner, on the forenoon of 1st July, 1969, relieving Shri S. S. Mathur, Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, 'B' Range, Jodhpur, of the additional charge.

No. 287.—On return from leave, Shri A. B. Menon has resumed duties as Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Madurai Range, Madurai, on the forenoon of 1st July, 1969, relieving Shri K. V. Rajan, Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Salem Range, Salem, of the additional charge.

No. 288.—On return from leave, Shri B. Abraham has resumed duties as Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, 'A' Range, Madras, on the forenoon of 4th July, 1969, relieving Shri P. K. V. Raghavan, Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, 'D' Range, Madras, of the additional charge.

No. 289.—On return from leave, Shri D. B. Ahuja, has resumed duties as Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, 'K' Range, New Delhi, on the forenoon of 9th July, 1969, relieving Shri M. M. Prasad, Appellate Assistant Commissioner of Income Tax, 'D' Range, New Delhi, of the additional charge.

No. 290.—On return from leave, Shri B. J. Chacko has resumed duties as Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Poona Range-II, Poona, and has taken over additional charge of the Office of the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Poona Range-I, Poona, on the forenoon of 14th July, 1969, relieving Shri M. Ramalingam, Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Sholapur Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Sholapur Range, Sholapur, of the additional charges.

No. 291.—On transfer, Shri L. K. Mohan has taken over charge as Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Range-III, Meerut, on the forenoon of 13th June, 1969, relieving Shri Ajit Sinha, Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Range-II, Meerut, of the additional charge.

No. 292.—Shri L. K. Mohan, Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Range-II, Meerut, took over charge as Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Range-II, Meerut, in addition to his own duties, on the afternoon of 30th June, 1969, vice Shri Ajit Sinha, proceeded on leave.

No. 293.—On return from leave, Shri S. R. Shukla has resumed duties as Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Range-I, Varanasi, on the forenoon of 14th July, 1969, relieving Shri S. I. Tripathy, Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Range-II, Varanasi, of the additional charge.

No. 294.—On return from leave, Shri A. N. Gupta has resumed duties as Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Range-III, Kanpur, on the forenoon of 30th June, 1969, relieving Shri R. C. Gupta, Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Range-II, Kanpur, of the additional charge.

No. 295.—On return from leave, Shri E. D. Helms has resumed duties as Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Range-I, Allahabad on the forenoon of 10th July, 1969 relieving Shri O. P. Bhardwaj, Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Range-II, Allahabad, of the additional charge.

No. 296.—On transfer, Shri K. B. Jindal has taken over charge as Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Moradabad, on the forenoon of 7th July, 1969, vice Shri S. Dwivedi, transferred.

No. 297.—Shri M. F. Munshi, Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, 'Q' Range, Bombay, took over charge as Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, 'M' Range, Bombay, in addition to his own duties on the afternoon of the 28th June, 1969, vice Shri S. Y. Raju Pandhare, proceeded on leave.

No. 298.—On return from leave, Shri J. N. Sharma has resumed duties as Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, 'E' Range, Ahmedabad, on the forenoon of 30th June, 1969, relieving Shri R. S. Aggarwal, Appellate Assistant Commissioner of Income Tax, Bhavnagar Range, Bhavnagar, of the additional charge.

The 30th July 1969

No. 299.—Shri C. C. Ganapathy, Commissioner of Income-tax, Bombay City-II, Bombay took over charge as Commissioner of Income-tax, Bombay City-I, Bombay, in addition to his own duties, on the afternoon of 18th July, 1969, vice Shri M. B. Palekar, transferred.

M. G. THOMAS, Under Secy.

(Department of Economic Affairs)

Bombay, the 8th August 1969

No. 1-29/669/E.II/69.—The Master of the Mint, India Government Mint, Bombay, hereby appoints Shri S. V. Khadiolkar, Assistant Assay Superintendent (Class-III) to officiate as Assay Supdt. (Cl. II Gztd.) in the scale of pay of Rs. 620—30—800 in the Assay Department, India Government Mint, Bombay, with effect from 5-8-1969 (F.N.) until further orders.

V. J. JOSHI, Master of the Mint

(Department of Expenditure)

(Defence Division)

New Delhi, the 30th July 1969

No. 21/6/69-Estt.—The President is pleased to appoint Shri S. S. Bhatia, a permanent Officer of Section Officers' Grade of the Central Secretariat Service, officiating in Grade I of the Service as Assistant Financial Adviser in the Ministry of Finance (Defence Division) with effect from the 13th July, 1969, until further orders.

P. C. TEWARI, Assist. Fin. Adviser

New Delhi, the 12th August 1969

No. 21/5/69-Estt.—The President is pleased to appoint Shri M. B. L. Sharma, a permanent officer of Assistants' Grade of the Central Secretariat Service Cadre of the Ministry of Finance, to officiate as Section Officer in the Defence Division of the Ministry of Finance for a further period from 15th July, 1969 to 31st July, 1969.

No. 21/17/69-Estt.—The Financial Adviser hereby appoints Shri P. K. Jain, an officiating Accounts Officer of the Defence Accounts Department, on transfer on deputation as Section Officer (Excluded) in the Ministry of Finance (Defence Division) in an officiating capacity with effect from the forenoon of the 21st July, 1969, until further orders.

P. C. TEWARI, Asstt. Fin. Adviser
for Financial Adviser

Bureau of Public Enterprises

New Delhi, the 18th July 1969

No. PFG(BPE)-40/69-Admn.—The President is pleased to appoint Shri S. S. Sharma, a permanent officer of the Grade I of the Central Secretariat Service, to officiate in the Selection Grade of the Service for a further period of one month with effect from the forenoon of the 1st July, 1969.

2. The President is also pleased to appoint Shri S. S. Sharma as Deputy Secretary in the Ministry of Finance, Bureau of Public Enterprises for the above mentioned period.

S. JAGANNARAYANAN, Under Secy.

New Delhi, the 31st July 1969

No. 2(3)/69-BPE/Adm.—The President is pleased to appoint Shri M. M. Rana, a permanent Senior Architect in the Central P.W.D., New Delhi, as Director in the Bureau of Public Enterprises, Ministry of Finance with effect from the afternoon of the 28th July 1969 until further orders.

S. S. SHARMA, Dy. Secy.

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Bombay-1, the 2nd August 1969

No. 1/5(60)/69-TE.—The President is pleased to appoint Shri Rama Prasad Choudhury a temporary Assistant Stores Officer in the Bhabha Atomic Research Centre of this Department as Stores Officer in the same Research Centre in a temporary capacity with effect from the forenoon of May 15 to June 21, 1969 vice Shri S. A. Uttamsingh granted leave.

No. -1/5(62)/69-TE.—The President is pleased to appoint Shri Shiv Nath Verma, a temporary Scientific Officer/Engineer-Grade SC2 in the Bhabha Atomic Research Centre of this Department as Scientific Officer/Engineer-Grade C in the same Research Centre in a temporary capacity with effect from the forenoon of February 24, 1969 until further orders.

No. 1/5(63)69-TE—The President is pleased to appoint the following officers in the Bhabha Atomic Research Centre of this Department as Scientific Officers Engineers-Grade C in

officiating/temporary capacity with effect from February 1, 1969 until further orders:

S.No.	Name	Substantive post, if any, held	Officiating/temporary post held at present
1.	Shri Kashi Nath Jha	Scientific Officer/Engineer Grade SC2	Scientific Officer/Engineer-Grade B
2.	Shri Satinder Kumar Sikka	Do.	Do.
3.	Shri Din Dayal Sood	Do.	—
4.	Dr. Jai Pal Mittal	Scientific Officer/Engineer-Grade SC1	—
5.	Dr. Joseph Thomas	—	Scientific Officer/Engineer-Grade SC2.
6.	Shri Satish Chandra Shah	—	Do.
7.	Dr. (Smt.) Aban Meyer Samuel	—	Do.

No. 1/6(18)/69-TE.—The President is pleased to accept the resignation from service tendered by Shri Keerangudi Ramsayer Srinivasan, a permanent Scientific Officer/Engineer-Grade SC1 officiating as Scientific Officer/Engineer-Grade SC2 in the Bhabha Atomic Research Centre, Bombay of this Department with effect from the afternoon of August 30, 1968.

No. 1/22/69-TE.—The President is pleased to appoint Shri Prabhakar Raghunath Bondre, a permanent Assistant Personnel Officer in the Bhabha Atomic Research Centre of this Department as Deputy Establishment Officer in the same Research Centre in an officiating capacity with effect from forenoon of April 22, to July 25, 1969.

2. This Department's Notification No. 1/22(1)/69-TE dated June 26, 1969 is hereby cancelled.

The 4th August 1969

No. 1/6(19)/69-TE.—The President is pleased to accept the resignation from service tendered by Shri Ashok Sil a permanent Scientific Officer/Engineer-Grade SC1 officiating as Scientific Officer/Engineer-Grade SC2 in the Bhabha Atomic Research Centre, Bombay of this Department with effect from the afternoon of June 4, 1969. Shri Ashok Sil relinquished charge of his post on the afternoon of May 9, 1969 and was granted earned leave for twenty six days from May 10 to June 4, 1969.

No. 1/6(20)/69-TE.—The President is pleased to accept the resignation from service tendered by Shri Ramachandra Gopalan, a temporary Scientific Officer/Engineer-Grade SC2 in the Bhabha Atomic Research Centre, Bombay of this Department with effect from the afternoon of August 31, 1968. Shri Gopalan relinquished charge of his post on the afternoon of August 30, 1968 and was granted earned leave for one day on August 31, 1968.

The 5th August 1969

No. 1/5(61)/69-TE.—The President is pleased to appoint Shri Edwin Leonard D'Souza, an officer from the Office of the Accountant General, Maharashtra officiating as Accounts Officer-II in the Bhabha Atomic Research Centre of this Department as Accounts Officer-III in the same Research Centre in an officiating capacity with effect from the forenoon of November 5, 1967 until further orders.

The 6th August 1969

No. 1/6(21)/69-TE.—The President is pleased to accept the resignation from service tendered by Shri Sibaprasad Ray a temporary Scientific Officer/Engineer-Grade SC2 in the Bhabha Atomic Research Centre of this Department with effect from the afternoon of February 20, 1969. Shri Ray relinquished

charge of his post on the afternoon of February 3, 1969 and was granted earned leave for seventeen days from February 4 to February 20, 1969.

S. V. RAGHAVAN, Under Secy.

Bombay-1, the 18th July 1969

No. 29/2/69-PP.—The President is pleased to appoint Shri Rajesh Kumar, a temporary Assistant Stores Officer, in the Rajasthan Atomic Power Project, as Stores Officer in the same Project, with effect from the afternoon of May 1, 1969, *vice* Shri J. P. Bolar granted leave, Shri Rajesh Kumar relinquished charge of the post of Stores Officer on the afternoon of June 13, 1969.

The 22nd July 1969

No. 28(17)/69-PP.—The President regrets to announce the death of Shri B. P. Mansukhani, a temporary Scientific Officer/Engineer-Grade SD2 of the Bhabha Atomic Research Centre, serving in the Power Project Engineering Division of this Department on June 30, 1969.

G. L. GARGA, Under Secy.

Bombay-1, the 2nd August 1969

No. 4/3(14)/68-TE.—The President is pleased to appoint the following officers in the Bhabha Atomic Research Centre of this Department as Scientific Officers/Engineers-Grade SD2 in a substantive capacity with effect from the dates shown against each:

S. No.	Name	Permanent Post if any	Present designation	Date of confirmation
1.	Shri Mantha Sanyasa Raya Sarma	Scientific Officer/Engr. Grade SC2	Scientific Officer/Officer/Engr. Grade SF*	1-3-1964
2.	Shri Turlapaty Kanaka Satyanarayana Murthy.	Do.	Scientific Officer/Engr. Grade SE	1-5-1964
3.	Shri Nagaraj Ramamoorthy	Scientific Officer/Engr. Grade SC1	Do.	Do.
4.	Shri Bangalore Sunderaj Prabhakar	Do.	Scientific Officer/Engr. Grade SF*	1-5-1965
5.	Shri Kuldip Singh Bimbhat		Do.	1-2-1965
6.	Shri Ganesh Venkatrao Nadkarni	Scientific Officer/Engr. Grade SC1	Scientific Officer/Engr. Grade SE*	1-2-1967

*In Rajasthan Atomic Power Project.

R. C. SHARMA, Dy. Secy.

Bombay-1, the 2nd August 1969

No. 1/24/69-TE.—The President is pleased to appoint Dr. A. R. Gopal Ayengar, permanent Scientific Officer/Engineer-Grade G, officiating as Scientific Officer/Engineer-Grade H in the Bhabha Atomic Research Centre of this Department as Outstanding Scientist in the Special Grade of Rs. 3,000 per month (fixed) in the Research Centre in an officiating capacity with effect from February 1, 1969 until further orders.

No. 1/24(i)/69-TE.—The President is pleased to appoint Dr. Raja Ramanna, permanent Scientific Officer/Engineer-Grade G in the Bhabha Atomic Research Centre of this Department as Scientific Officer/Engineer-Grade H in the Research Centre in an officiating capacity with effect from February 1, 1969 until further orders.

M. A. HADI, Jt. Secy.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND SUPPLY

(Department of Foreign Trade)

New Delhi, the 4th August 1969

No. 72/69 [E.I.(G)(N-53)/69].—The President is pleased to appoint Shri N. K. Singh, I.A.S., as Under Secretary in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Department of Foreign Trade) with effect from the afternoon of the 26th July, 1969, until further orders.

No. 73/69 [E.II(G)(R-67)/E.I.].—The President is pleased to appoint Shrimati Ratna D. Mangat a permanent officer of Section Officers' Grade of the Central Secretariat Service to officiate in Grade I of the Service with effect from the 12th May, 1969, to the 13th June, 1969.

2. The President is also pleased to appoint Shrimati Ratna D. Mangat as Deputy Chief Controller of Imports and Exports in the Office of the Joint Chief Controller of Imports and Exports Bombay, for the aforesaid period.

K. K. SACHDEV, Under Secy.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT INTERNAL TRADE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 5th August 1969

No. M/47/SSI(C).—On his reversion, Shri L. M. Mathur relinquished charge of the post of Deputy Director in the Office of the Development Commissioner (Small Scale Industries), New Delhi, with effect from the forenoon of the 7th July, 1969 and assumed charge of the post of Assistant Director (Grade I) with effect from the same date and time.

O. R. PADMANABHAN, Under Secy.

Department of Company Affairs

New Delhi-1, the 5th August 1969

No. PFG(241)-CLA/67.—The President has been pleased to appoint Shri R. M. Verma, Assistant Accounts Officer in the Office of the Accountant General, Central Revenues, New Delhi to officiate as Audit Officer in the Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs, Department of Company Affairs for a further period of one year with effect from 19th July, 1969.

The 11th August 1969

No. PFA(6)-CLA/54.—The President has been pleased to appoint Shri S. C. Mitra, a permanent officer of the Assistant's Grade of the Central Secretariat Service of the Ministry of Finance Cadre to officiate as a Section Officer in the Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs, Department of Company Affairs for a further period of six days from 3rd August, 1969 to 8th August, 1969.

The 12th August 1969

CORRIGENDUM

No. 2/7/68-Admn.I.—In the Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs, Department of Company Affairs Notification No. 2/7/68-Admn.I, dated the 17th July, 1969 published at page 876 of Part I, Section 2 of the Gazette of India dated 2nd August, 1969, for the words figures "45 days from 17th May, 1969 to 30th June, 1969" read "44 days from 17th May, 1969 afternoon to 30th June, 1969".

K. SRINATH, Under Secy.

New Delhi-1, the 5th August 1969

No. PFG(33)-CLA/55.—Shri Ch. S. Rao, Deputy Official Liquidator, High Court, Calcutta has been granted earned leave for 32 days from 8-7-1969 to 8-8-1969 with permission to suffix holidays on 9th and 10th August, 1969 to the leave.

No. PFG(78)-CLA/57.—On his transfer as Official Liquidator, High Court, Calcutta Shri J. P. Mukherjee relinquished charge of the post of Registrar of Companies, West Bengal, Calcutta on the forenoon of 27th June, 1969.

2. In exercise of the powers conferred by sub-section 2 of Section 609 of the Companies Act 1956 (I of 1956) read with the Government of India, Ministry of Finance (Department of Company Affairs and Insurance) Notification G.S.R. 72 dated the 1st January, 1966 the Company Law Board have on his transfer from the post of Joint Director of Inspection, Department of Company Affairs, New Delhi appointed Shri P. K. Mallik to officiate as Registrar of Companies, West Bengal, Calcutta with effect from the forenoon of 27th June, 1969 until further orders vice Shri J. P. Mukherjee.

No. PFG(78)-CLA/57.—On his reversion as Deputy Official Liquidator, High Court, Calcutta, Shri Ch. S. Rao relinquished charge of the post of Official Liquidator, High Court, Calcutta on the forenoon of 27th June, 1969.

2. In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (i) of Section 448 of the Companies Act, 1956 (I of 1956) the Central Government have on his transfer from the post of Registrar of Companies, West Bengal, Calcutta appointed Shri J. P. Mukherjee to officiate as Official Liquidator, High Court, Calcutta with effect from the forenoon of 27th June, 1969 until further orders vice Shri Ch. S. Rao.

No. PFR(51)-CLA/62.—In exercise of the powers conferred by sub-section 2 of Section 609 of the Companies Act, 1956 (I of 1956) read with the Government of India, Ministry of Finance, (Department of Company Affairs and Insurance) Notification G.S.R. 72 dated the 1st January, 1966, the Company Law Board have on his return from leave appointed Shri K. Rajagopalan to officiate as Assistant Registrar of Companies, Madras with effect from the forenoon of 14th July, 1969, until further orders.

No. PFR(63)-CLA/65.—Shri K. G. Anantha Krishnan, Assistant Registrar of Companies, West Bengal, Calcutta has been granted earned leave for 7 days from 5th July, 1969 to 11th July, 1969 with permission to suffix 12th and 13th July, 1969 being 2nd Saturday and Sunday to the leave.

The 11th August 1969

No. PFR(60)-CLA/64.—On his selection by the Union Public Service Commission to the post of Company Accountant the President is pleased to appoint Shri V. S. Galgali to officiate on regular basis as Company Accountant (Grade III of the C.L.B.S.) in the office of the Official Liquidator, Bombay with effect from the forenoon of the 16th July, 1969 until orders.

No. PFR(63)-CLA/65.—In exercise of the powers conferred by sub-section 2 of Section 609 of the Companies Act, 1956 (I of 1956) read with the Government of India, Ministry of Finance (Department of Company Affairs and Insurance), Notification G.S.R. 72, dated the 1st January, 1966, the Company Law Board have on his return from leave appointed Shri K. G. Ananthakrishnan to officiate as Assistant Registrar of Companies, West Bengal, Calcutta with effect from the forenoon of 14th July, 1969 until further orders.

The 12th August 1969

No. PFG(122)CLA/61.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Sub-section (i) of Section 448 of the Companies Act, 1956 (I of 1956) the Central Government have on his return from leave appointed Shri K. Vaitheeswaran, to officiate as Official Liquidator, High Court, Madras with effect from the forenoon of 19th July, 1969 until further orders vice Shri G. Srinivasan.

(Company Law Board)

No. PFG(195)-CLA/65.—Shri N. L. Passl, formerly Registrar of Companies Assam, Tripura, Manipur and Nagaland,

Shillong was granted earned leave for 9 days from 1st May, 1968 to 9th May, 1968.

P. B. SAHARYA, Under Secy.

(Department of Internal Trade)

New Delhi, the 6th August 1969

No. 17(7)-I.T./69.—The President is pleased to appoint the following permanent Senior Research Assistants in the Office of the Forward Markets Commission, Bombay, to officiate as Research Officers included in Grade IV of the Indian Economic Service in that Office on *ad hoc* basis for the period mentioned against each:—

S. No.	Name	Period
1.	Shri K. Joseph	From the forenoon of 8-5-69 to 13-6-69.
2.	Shri V. H. Merchant	From the forenoon of 8-5-69 to 13-6-69.
3.	Shri G. D. Madiman	From the forenoon of 8-5-69 to 7-6-69.

P. SITARAMAN, Dy. Secy.

MINISTRY OF HEALTH, FAMILY PLANNING, WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT

(Department of Health)

New Delhi, the 8th August 1969

No. F. 12(IV)-7/69-CHS.I.—The President is pleased to appoint Dr. L. N. Sharma, to the Specialists' Grade of the Central Health Service on an *ad hoc* basis and post him as Junior Consultant in Psychiatry G. B. Pant Hospital, New Delhi, with effect from the 9th May, 1969 (F.N.).

CORRIGENDUM

No. F. 3(III)-31/69-CHS.I.—In this Ministry's Notification No. F. 1-3/67-CHS.II dated the 8th June, 1967 against S. No. 162 the following may be substituted to read as under:—

"162. Dr. Subhendu Chaudhuri, Lecturer in Surgery, Jawaharlal Institute of Post-graduate Medical Education and Research, Pondicherry."

The 11th August 1969

No. F. 9-4/69-CHS.II.—Consequent on his transfer to Central Government Health Scheme, Delhi, Dr. V. K. Saxena, a General Duty Officer, Grade II Officer of the Central Health Service, relinquished charge of post of Junior Medical Officer (Insurance) under the Employees' State Insurance Corporation, New Delhi on the afternoon of the 28th April, 1969.

P. V. HARIHARASANKARAN, Under Secy.

New Delhi, the 11th August 1969

No. F. 2-286/68-CHS.II.—The Secretary, Departments of Health & Family Planning hereby appoints Dr. (Kum.) M. Chandrika to the General Duty Officer, Grade II of the Central Health Service and posts her as Junior Medical Officer in the Rural Health Training Centre, Najafgarh under the Directorate General of Health Services, New Delhi in a temporary capacity with effect from the forenoon of the 3rd July, 1969 until further orders.

No. F. 2-406/68-CHS.II.—The Secretary, Departments of Health and Family Planning hereby appoints Dr. Ramesh Chandra Verma to the General Duty Officer, Grade II of the Central Health Service and post him as Junior Medical Officer (Insurance) in the Employees' State Insurance Corpora-

tion, New Delhi in an officiating capacity with effect from the afternoon of the 28th June, 1969, until further orders.

No. F. 2-462/68-CHS.II.—The Secretary, Departments of Health and Family Planning hereby appoints Dr. Arun Kumar to the General Duty Officer, Grade II of the Central Health Service and post him as Junior Medical Officer in the Geodetic and Research Board, Dispensary, Dehra Dun under the Surveyor General of India, Dehra Dun in an officiating capacity with effect from the forenoon of the 3rd May, 1969, until further orders.

No. F. 2-513/68-CHS.II.—The Secretary, Departments of Health & Family Planning hereby appoints Dr. Gopi Chand Balchandani to the General Duty Officer, Grade II of the Central Health Service and posts him as Junior Medical Officer in the Central Reserve Police Base Hospital, Neemuch, under the Ministry of Home Affairs in a temporary capacity with effect from the forenoon of the 28th April, 1969 until further orders.

P. V. HARIHARASANKARAN, Under Secy.,
for Secy.

New Delhi, the 8th August 1969

No. F. 1(i)-29/69-Estt.(P).—In continuation of the Department of Health Notification No. F. 1(i)-29/69-Estt.(P), dated the 15th July, 1969, the President is pleased to appoint Shri R. N. Sinha, a permanent officer of the Section Officers' Grade of the Central Secretariat Service to officiate in Grade I of the Central Secretariat Service for a further period of 9 days with effect from the 24th July, 1969 to 1st August, 1969.

2. The President is also pleased to appoint Shri R. N. Sinha as Under Secretary in the Department of Health for the aforesaid period.

3. On the expiry of the term of his officiating appointment as Under Secretary, Shri R. N. Sinha resumed charge of the post of Section Officer in the Department of Health on the forenoon of the 2nd August, 1969.

No. F. 1(i)-46/69-Estt.(P).—The President is pleased to appoint Shri Satish Kumar, I.A.S. (Rajasthan), as Under Secretary to the Government of India in the Ministry of Health, Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Department of Health) with effect from the forenoon of the 2nd August, 1969, until further orders.

K. SATYANARAYANA, Under Secy.

New Delhi, the 8th August 1969

No. F. 1(iii)-11/69-Estt(P).—The Secretary, Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Departments of Health & Family Planning) is pleased to appoint Shri S. R. Gupta, a permanent officer of Grade II of the Central Secretariat Stenographers' Service, to officiate as Assistant Secretary, Ayurvedic Pharmacopoeia Committee, Department of Health, for a period of 60 days with effect from the 26th May, 1969.

2. On the expiry of the term of his appointment, Shri S. R. Gupta relinquished charge of the post of Assistant Secretary, Ayurvedic Pharmacopoeia Committee, on the forenoon of the 25th July, 1969.

K. SATYANARAYANA, Under Secy., for Secy.

Departments of Works, Housing & U.D.

New Delhi, the 12th August 1969

No. 3/3/68-PS.—The President is pleased to promote and appoint Shri Rabinder Singh, permanent Joint Director (Materials) in the National Buildings Organisation, to officiate as Director of the Organisation, with immediate effect and until further orders.

R. R. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT & COOPERATION**(Department of Agriculture)***New Delhi, the 10th July 1969*

No. 5-22/69-Estt.V.—The President is pleased to appoint Shri Iwala Prasad, Officer-in-Charge, Hide Flaying Scheme in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Agriculture) as Assistant Commissioner (Carcass Utilisation) in the same Department with effect from the forenoon of the 3rd July, 1969, and until further orders.

The 5th August 1969

No. 2-20/69-Estt.I.—In supersession of this Department's Notification No. F 2-20/69-Estt.I dated 19-4-69, the President is pleased to appoint the following permanent Officers of the Assistants' Grade (Grade IV) of the CSS, in the cadre of the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation (Department of Agriculture) as officiating Section Officers for the period indicated against each in the Directorate of Marketing and Inspection, Nagpur :

1. Shri B. V. Chahande—From 3-2-69 (FN) to 26-6-69 (AN).
2. Shri V. Dharma Rao—From 3-2-69 (FN) to 20-5-69 (A.N.).

The 7th August 1969

No. 2-1/69-Estt.I.—The President is pleased to appoint the following permanent officers of the Assistants' Grade (Gr. IV of the CSS) as offg. Section Officers in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation (Department of Agriculture) for the period indicated against each :—

1. Shri A. N. Saxena—from 3-6-69 (FN) to 11-7-69 (AN) in the Department of Agriculture.
2. Shri B. D. Sharma—from 4-6-69 (FN) to 5-7-69 (AN) in the Department of Agriculture.
3. Shri B. R. Puri—with effect from 14-6-69 (FN) and until further orders in the Department of Agriculture.
4. Shri Gurnam Singh—with effect from 23-6-69 (FN) and until further orders in the Directorate of P.P.Q. & S., Faridabad.

No. 27-666/69-Estt.V.—Shri J. S. Sarma, Joint Commissioner (Plan Coordination) and *ex-officio* Economic and Statistical Adviser in the Department of Agriculture, Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation, was placed on deputation *ex-India* on foreign service with the ECAFE of the United Nations in Bangkok for a period two months with effect from 20-2-69 (AN).

2. Shri J. S. Sarma, on the expiry of the Foreign Service with the ECAFE, assumed charge of the post of Joint Commissioner (Plan Coordination) and *ex-officio* Economic and Statistical Adviser in the Department of Agriculture with effect from the forenoon of the 21st April, 1969.

S. G. SUNDARAM, Under Secy.

New Delhi, the 31st July 1969

No. 1-20/68-EEII.—The President is pleased to appoint Shri R. N. Bakshi, a permanent officer of Section Officers' Grade of C.S.S. on the cadre of the Department of Agriculture, at present on deputation as Administrative Officer, Delhi Milk Scheme, as Personnel Officer, Delhi Milk Scheme (Class I) in a temporary capacity with effect from the forenoon of the 5th July, 1969 until further orders.

The 5th August 1969

No. 30-35/69-EEI.—The President is pleased to appoint Dr. V. Ramesam, Junior Geologist, Exploratory Tubewells Organisation, Faridabad, as Senior Geologist in a temporary capacity in the same organisation with effect from the forenoon of the 24th June, 1969, until further orders.

The 6th August 1969

No. 31-58/69-EEII.—The President is pleased to appoint Shri H. L. Chawla, Assistant Economic & Statistical Adviser

in the Directorate of Economics & Statistics as Specialist (Farm Management) in the same Directorate with effect from 1-5-69 (Forenoon) until further orders.

The 7th August 1969

No. 31-43/69-EE-II.—The President is pleased to appoint Shri R. N. Kaushik a grade I officer of the Indian Economic Service and Additional Economic & Statistical Adviser in the Directorate of Economics and Statistics as Special Adviser (Food) in the same Directorate for a period from 21-2-1969 (F.N.) to 21-4-1969 (R.N.) *vice* Shri Ram Saran appointed as Joint Commissioner (Plan Coordination) in this Department.

RAGHUBIR NARAIN, Under Secy.

(Department of Community Development and Cooperation)*New Delhi, the 1st August 1969*

No. F. 1/1/69-Admn.—The President is pleased to allow the continued appointment of Shri L. S. Kanuga, a permanent Officer of Section Officers' Grade of the C.S.S. for officiating in Grade I of the service with effect from the forenoon of the 12th July, 1969 to 24th July, 1969.

The President is also pleased to allow the continued appointment of Shri L. S. Kanuga, as Under Secretary in the Department of Community Development in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation for the above said period.

RAM DEV, Under Secy.

MINISTRY OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES*New Delhi, the 25th July 1969*

No. F.4-15/69-E.I.—The President is pleased to appoint Shri Saran Singh, a permanent Officer of the Section Officers' Grade of the Central Secretariat Service, to officiate in Grade I of the Service, with effect from the 6th June, 1969, to 7th June, 1969.

2. The President is pleased to appoint Shri Saran Singh as Under Secretary in the Ministry of Education and Youth Services, for the aforesaid period.

No. F.4-15/69-E.I.—The President is pleased to appoint Shri Saran Singh, a permanent Officer of the Section Officers' Grade of the Central Secretariat Service to officiate in Grade I of the Service, with effect from 9-6-1969 to 11-7-1969.

2. The President is pleased to appoint Shri Saran Singh as Under Secretary in the Ministry of Education and Youth Services for the said period.

No. F. 4-15/69-E.I.—The President is pleased to appoint Shri Kanwar Lal, a permanent Officer of the Section Officers' Grade of the Central Secretariat Service to officiate in Grade I of the Service, with effect from the forenoon of the 1-7-1969 to the 31-7-1969 (A.N.).

2. The President is pleased to appoint Shri Kanwar Lal as Under Secretary in the Ministry of Education and Youth Services, for the aforesaid period.

The 29th July 1969

No. F.15-239/64-E.I.—The President is pleased to permit Kumari S. Rajan, Assistant Educational Adviser in the Ministry of Education and Youth Services, to retire from Government Service with effect from the afternoon of 1st July, 1969.

2. The President is also pleased to grant to Kumari S. Rajan, Earned Leave for 114 days combined with Half Pay Leave for 6 days with effect from 2nd July 1969 as "refused leave" on her attaining the age of superannuation.

The 6th August 1969

No. F. 4-20/69—E. I. The President is pleased to appoint the following permanent Assistants in the Ministry of Education and Youth Services as Section Officer in the same Ministry, for the further periods as shown against each :—

S. No.	Name	From	To
1.	Shri J. C. Marwaha	8. 69	30. 8. 69
2.	Shri R. S. Bhatia	1. 8. 69	21. 8. 69
3.	Shri Ram Saran Lal	1. 8. 69	28. 8. 69
4.	Shri S. K. Das	1. 8. 69	31. 8. 69
5.	Shri B. R. Sohal	12. 7. 69	31. 7. 69

K. S. AHLUWALIA, Under Secy.

New Delhi, the 31st July 1969

No. F. 4-1/69-E.I.—The Secretary to the Government of India in the Ministry of Education and Youth Services hereby appoints Shri H. C. Malik, Tech. Assistant (Senior Grade), to officiate as Assistant Education Officer (General) in the same Ministry with effect from the forenoon of 7th July, 1969, until further orders.

K. S. AHLUWALIA, Under Secy., for Secy.

DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS*New Delhi-1, the 7th August 1969*

No. 2-OC(4)/68.—Consequent upon the appointment of Shri G. D. Gokarn as officiating Deputy Director General (Traffic) in the Overseas Communications Service, Shri M. J. Gandhi, who was officiating in that post reverted to his substantive post of Director with effect from the 7th May, 1969.

S. S. PRUTHI, Under Secy.

New Delhi-1, the 6th August 1969

No. 4-E(51)/69.—The President has been pleased to appoint Shri R. N. Aggarwal, an officiating Engineer-in-Charge, Monitoring Organisation, to officiate as an Assistant Wireless Adviser on a purely *ad hoc* and provisional basis in the Wireless Planning & Coordination Wing, Department of Communications with effect from 1-8-1969 until further orders. He will continue to hold, until further orders, the post of Engineer-in-Charge, Monitoring Organisation in addition, without any extra remuneration.

The 8th August 1969

No. 4-E(33)/69.—The services of Shri K. D. Srivastava, a permanent Officer of the Section Officers' grade of the Central Secretariat Service (Cadre of the Department of Communications), working as a Section Officer in the Posts and Telegraphs Directorate, were placed at the disposal of the Ministry of Law with effect from 1-8-1969 (FN), for appointment as an Under Secretary.

O. P. SHARMA, Under Secy.

New Delhi-1, the 4th August 1969

No. 4-E(35)/69-A.—The President is pleased to appoint the following permanent officers of the Post Master General's Grade, substantively to the post of Member, Posts and Telegraphs Board, with effect from the dates noted against each:—

S.No.	Name	Post in which confirmed	Date from which confirmed
1.	Shri L. K. Narayanaswamy	Member (Administration)	10-11-67
2.	Shri Madan Kishore	Member (Booking & Insurance)	11-11-67
3.	Shri C.A. Cornelius	Member (Telecommunication Development)	25-12-68

No. 4-E(35)/69-B.—The President is pleased to appoint the following permanent officers of the grade of Member, Posts & Telegraphs Board, substantively to the post of Senior Member, Posts and Telegraphs Board, with effect from the dates noted against each:—

S.No.	Name	Post in which confirmed	Date from which confirmed
1.	Shri L. K. Narayanaswamy	Senior Member (Posts)	1-1-69
2.	Shri C. A. Cornelius	Senior Member (Telecommunications Operations)	23-1-69

No. 4-E(35)/69-C.—The President is pleased to appoint the following permanent officers of the Post Master General's Grade substantively to the post of Member, Posts and Telegraphs Board from the dates noted against each:—

S.No.	Name	Post in which confirmed	Date from which confirmed
1.	Shri C. P. Vasudevan	Member (Administration)	1-1-69
2.	Shri K. N. R. Pillai	Member (Telecommunication Development)	23-1-69

A. S. BHATNAGAR, Dy. Secy.

(Posts & Telegraphs Board)*New Delhi, the 6th August 1969*

No. 9/8/69-SPA.—The P&T Board has been pleased to order the reversion of Shri A. Nallathayappan officiating Superintendent of Post offices, Aurangabad in Maharashtra Circle from his officiating appointment in Postal Superintendents' Service, Class II with effect from the 23rd June, 1969 forenoon.

The 7th August 1969

No. 15/2/69-SPA.—In partial modification of para 1(2) of P&T Board's notification No. 15/2/69-SPA dated the 4th July, 1969, the P&T Board is pleased to appoint Shri B. Chatterjee, Accounts Officer, office of the General Manager, Telecom Factories, Calcutta, as Chief Accounts Officer, office of the Manager, Telecom Factory, Calcutta, with effect from the 9th May, 1969, on a purely temporary and *ad hoc* basis, without prejudice to the claims of his seniors.

The 12th August 1969

No. 1/14/69-SPA.—The President is pleased to appoint Shri C. A. Dhayanathan an officer of the grade of Director Postal Services to the Senior Administrative Grade and was posted as Postmaster-General, Madras from 2-5-69 to 8-7-69 on a purely temporary and *ad hoc* basis. On the expiry of the officiating arrangement the officer reverted as Director Postal Services, Madras on the afternoon of the 8th July, 1969.

K. BHARATHAN, Asstt. Dir. Gen. (SO)

New Delhi-1, the 12th August 1969

No. 1/14/69-SPA.—The President is pleased to appoint Shri T. R. Sankaran, an officer of the grade of Director of Postal Services to the Senior Administrative Grade and posted as Postmaster-General, Lucknow from 28-4-69 to 18-7-69, on a purely *ad hoc* and temporary basis. The officer reverted as Director Postal Services on the afternoon of the 18th July, 1969 after the expiry of the officiating arrangement.

K. BHARATHAN, Asstt. Dir. Genl. (P&T)

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT**(Transport Wing)***New Delhi, the 5th August 1969***(MERCHANT SHIPPING)**

No. 2-MA(6)/69.—On expiry of the leave preparatory to retirement, Shri T. Berry, Principal Officer, Mercantile Marine Department, Bombay is permitted to retire from service with effect from the 31st August, 1969.

RAM KISHORE, Under Secy.*New Delhi, the 8th August 1969*

No. E-1(15)/69.—The President is pleased to appoint Shri K. K. Saraf, an officer permanent in the Assistant's grade of the Central Secretariat Service Cadre of the Ministry of Transport & Shipping, to officiate in the Section Officer's grade of that service with effect from the 4th September, 1969, until further orders.

2. Shri K. K. Saraf, Assistant, Roads Wing is appointed to officiate as Section Officer in the Transport Wing *vice* Shri Shiv Ram, Section Officer, transferred as Under Secretary to the Department of Food.

GOPAL LAL MALHOTRA, Under Secy.**MINISTRY OF RAILWAYS****(Railway Board)***New Delhi, the 7th August 1969*

No. E(RB)1/69/LE2/1.—Shri K. L. Puri, Section Officer, Railway Board, retired from service with effect from the afternoon of 7-8-1969.

The 11th August 1969

No. E(GP)65/6/8.—The President is pleased to appoint Shri C. K. SUNDER, Temporary Assistant Engineer, South-Eastern Railway, permanently to the Indian Railway Service of Engineers in the Junior Scale with effect from 29-3-1966.

[The Ministry of Railways (Railway Board) Notification No. E(GP)65/6/8, dated 1-5-1969 notifying permanent absorption of Shri C. K. Sunder Babu, Temporary Assistant Engineer, South-Eastern Railway to the Indian Railway Service of Engineers in the Junior Scale w.e.f. 29-3-1966 is hereby cancelled].

No. E(O)III-69PM6/38.—1. Shri K. B. Mathur, Deputy Chief Commercial Superintendent in the Junior Administrative Grade, Northern Railway, is appointed to officiate as Deputy Chief Personnel Officer in the Intermediate Administrative Grade on that Railway with effect from 8th March, 1969.

2. Shri P. D. Jain, officiating Deputy Chief Engineer in the Junior Administrative Grade, Northern Railway, is appointed to officiate as Divisional Superintendent in the Intermediate Administrative Grade on that Railway with effect from the afternoon of 14th March, 1969.

3. Shri T. P. Subrahmanyam, officiating Divisional Superintendent in the Junior Administrative Grade, Western Railway, is appointed to officiate as Deputy Chief Personnel Officer in the Intermediate Administrative Grade on that Railway with effect from 13th March, 1969.

4. Shri A. V. Jacob, officiating Deputy Chief Engineer in the Junior Administrative Grade, Western Railway, is appointed to officiate as Divisional Superintendent in the Intermediate Administrative Grade on that Railway with effect from the afternoon of 11th March, 1969.

5. Shri H. I. Motianey, officiating Divisional Superintendent in the Junior Administrative Grade, Western Railway, is appointed to officiate as Divisional Superintendent in the Intermediate Administrative Grade on that Railway with effect from 5th March, 1969.

6. On transfer from Central Railway, Shri M. P. Sathaye, officiating Deputy Chief Commercial Superintendent in the Junior Administrative Grade, is appointed to officiate as Divisional Superintendent in the Intermediate Administrative Grade on Western Railway with effect from 20th March, 1969.

7. Shri J. S. Khergamwala, officiating Deputy General Manager (General) in the Junior Administrative Grade, Western Railway, is appointed to officiate as Deputy General Manager (General) in the Intermediate Administrative Grade on that Railway with effect from 3rd March, 1969.

No. E(O)III-69PM6/155.—On transfer from Central Railway, Shri R. K. Dandekar, officiating Deputy Chief Signal and Telecommunication Engineer in the Intermediate Administrative Grade, is appointed to officiate as Chief Signal and Telecommunication Engineer (Construction) on Northern Railway with effect from 25th June, 1969.

The 12th August 1969

No. E(O)III-69PM6/30.—1. Shri M. Ramji, Deputy Chief Accounts Officer in the Junior Administrative Grade, Northern Railway, is appointed to officiate as Deputy Financial Adviser in the Intermediate Administrative Grade on that Railway with effect from 21st February, 1969.

2. On transfer from Railway Staff College, Baroda, Shri G. C. Sharma, Senior Accounts Officer (Instructions), is appointed to officiate as Deputy Financial Adviser & Chief Accounts Officer in the Junior Administrative Grade on the Western Railway with effect from 6th March, 1969.

3. On transfer from Southern Railway, Shri K. Subramanian, Deputy Chief Accounts Officer in the Junior Administrative Grade, is appointed to officiate as Deputy Financial Adviser in the Intermediate Administrative Grade on the Western Railway with effect from 15th March, 1969.

4. Shri Gian Sagar, Senior Accounts Officer, Western Railway, is appointed to officiate as Deputy Chief Accounts Officer in the Junior Administrative Grade on that Railway with effect from 31st March, 1969.

No. E(O)III-69PM6/123.—Shri J. K. Ball, a Senior Scale Officer of Indian Railway Traffic Service, Northern Railway, is appointed to officiate as Area Superintendent, Kanpur, in the Junior Administrative Grade on that Railway with effect from 7th May, 1969.

No. E(O)III-69PM6-165.—Shri S. L. Gupta, Officiating Engineer-in-Chief, Intermediate Administrative Grade, Central Railway, is appointed to officiate as Chief Engineer (Survey and Construction) on that Railway with effect from the afternoon of the 24th June 1969.

No. E(O)III-69PM6/172.—Shri S. N. Mahant, a Senior Scale Officer of the Indian Railway Service of Mechanical Engineers, Northern Railway, is appointed to officiate as Deputy Chief Mechanical Engineer, in the Junior Administrative Grade on that Railway with effect from 12th June, 1969.

No. E(O)III-69-PM6/176.—Shri S. K. Khanna, a Junior Administrative Grade Officer of the Indian Railway Traffic Service, South Eastern Railway, is appointed to officiate as Chief Public Relations Officer in the Intermediate Administrative Grade on that Railway, with effect from the 8th July, 1969.

B. M. KAUL, Secy., Rly. Board.

MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER

New Delhi, the 5th August 1969

New Delhi, the 20th June 1969

No. 42/69-F, 9 (4)/69-Adm. II—In continuation of this Ministry's Notification No. 18/69-F, 9 (4)/69-Adm. II, dated the 17th March, 1969, the President is pleased to appoint the following permanent officers of the Assistants' Grade of the C.S.S. Cadre of the Ministry of Irrigation and Power, to officiate as Section Officers in the Section Officers' Grade of the same Service, within the Cadre, for the periods indicated against each, or until further orders, whichever is earlier.

S. No.	Name	From	To
1.	Shri P. K. Roy	2-5-69	31-7-69
2.	Shri A. B. Sinha	1-5-69 2-6-69	31-5-69 31-7-69
3.	Shri R. Seshadri	2-6-69	31-7-69
4.	Shri N. S. Bhatia	2-6-69	31-7-69
5.	Shri B. K. Bhatnagar	2-6-69	31-7-69
6.	Shri S. N. Chhbber	2-6-69	31-7-69
7.	Shri Gurmukh Singh	2-6-69	30-6-69
8.	Shri K. L. Chadha	1-5-69 4-6-69	31-5-69 5-7-69

G. S. BAKSHI, Under Secy.

New Delhi, the 6th August 1969

No. 150/69-F, 1/27/69-Adm.I.—The President is pleased to appoint Shri K. L. Vij, formerly Vice-Chairman, Central Water & Power Commission (Power Wing) as Chairman, High Level Committee of Technical Experts in the Central Water & Power Commission (Power Wing), in an officiating capacity, with effect from the forenoon of the 9th July, 1969, until further orders.

M. S. PATHAK, Under Secy.

New Delhi, the 12th August 1969

No. 152/69-F, 3/44/67-Adm.I.—The President is pleased to appoint on promotion, Shri Y. D. Barve, Research Officer (Engineering), Central Water and Power Research Station, Poona, as Chief Research Officer (Grade II) (Engineering) in the same organisation, in an officiating capacity with effect from the forenoon of the 1st July, 1969, until further orders.

M. S. PATHAK, Under Secy.

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi-1, the 31st July 1969

CORRIGENDUM

No. 6/5/69-Admn.II.—In this Ministry's Notification No. 6/5/69-Admn.II dated 22nd February, 1969, for the words and figures "February 1, 1969" appearing in the last line of the notification the words and figures "January 31, 1969" may be substituted.

K. K. KHAN, Under Secy.

No. 16(18)69-BD.—The President has been pleased to appoint Shri S. K. Bhattacharjee, Assistant Station Engineer A.I.R. Kurseong to officiate in the cadre of Station Engineer and to post him as Station Engineer, A.I.R. Hyderabad with effect from 7-7-1969 until further orders.

C. B. GIRIDHAR, Under Secy.

New Delhi, the 31st July 1969

No. 5/16/69-Admn. II.—The President is pleased to appoint the following permanent officers of Grade II of the Central Secretariat Stenographers' Service in the cadre of the Ministry of Information & Broadcasting, to officiate in Grade I of the Service with effect from the forenoon of 31st July, 1969, until further orders:

Sl. No.	Name	Office where working
1.	Shri L. R. Lalchandani	On deputation with I.I.M.C.
2.	Shri M. A. Raman	Main Secretariat.

2. Both the above-mentioned officers have been posted in the Main Secretariat as Grade I Stenographers with effect from the aforesaid date.

The 5th August 1969

No. 1/K/27-Admn.II.—The President is pleased to appoint Shri K. K. Khan, I.A.S. on his transfer from the Government of Bihar, as Under Secretary to the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting, with effect from the forenoon of 29th July, 1969, until further orders.

R. K. GOVIL, Dy. Secy.

Directorate General: All India Radio

New Delhi, the 23rd July 1969

No. 2/47/68-Scor.—Consequent on his deputation ex-India for training Shri K. K. Sharma, Assistant Engineer, Research Department, All India Radio, New Delhi, relinquished charge of his post on the afternoon of the 6th March, 1969.

C. S. RAO, Dy. Director (Administration)

MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 6th August 1969

No. 23/1/27/69-LWI.II.—The President is pleased to appoint Shri Mahesh Chandra, officiating Investigator Grade I in Labour Bureau, Simla to officiate on *ad hoc* basis as Assistant Director in Labour Bureau, Simla with effect from the forenoon of 8-7-69 until further orders.

MAHINDRA KISHORE, Under Secy.

New Delhi, the 12th August 1969

No. 17(7)/69-Fac.I.—The President is pleased to appoint Shri R. Sathiamoorthy, an officiating Grade III Officer of the Indian Statistical Service, to officiate as Assistant Director (Statistics) in the Central Labour Institute, Bombay under the

Directorate General of Factory Advice Service and Labour Institutes, with effect from the 2nd July, 1969 (Forenoon) till further orders.

J. D. TEWARI, Under Secy.

(Department of Rehabilitation)

New Delhi, the 4th August 1969

No. 8(180)/64-Adm.I.—On reversion from the Government of Zambia, Shri P. V. Gopalan, a permanent Officer of the Selection Grade of the Central Secretariat Service, assumed charge of the office of Joint Secretary to the Govt. of India in the Department of Rehabilitation, Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation, with effect from the forenoon of the 24th July, 1969.

No. 8(553)/66-Adm.I.—Shri S. D. Bhatia, a permanent officer of Grade II of the Central Secretariat Stenographers' Service officiating in Grade I of the Service in the Department of Rehabilitation, Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation, has been reverted as Stenographer Grade II of the Service in the same Department with effect from the forenoon of the 30th July, 1969.

No. 8(55)/66-Adm.I.—On reversion from the Government of West Bengal, Shri Satya Paul, an officer of Grade I of the Central Secretariat Stenographers' Service, assumed charge of the office of Grade I of the Service in the Department of Rehabilitation, Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation with effect from the forenoon of the 30th July, 1969.

IANKI NATH, Under Secy.

